



भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश

भाग I - निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), विजयवाड़ा/विशाखापत्तनम/तिरुपति में आवश्यकता के आधार पर कार किराए पर लेने के उद्देश्य से अत्यधिक प्रतिष्ठित, अनुभवी और सक्षम कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदा आमंत्रित करता है। पैनल चार महीने की अवधि अर्थात् 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए होगा (भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो और वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है)।

2. उपरोक्त सूचीबद्धता के लिए, निविदाकर्ताओं को निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव 07 नवंबर 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में एक सीलबंद लिफाफे (प्रत्येक दो भागों में) में जमा करना चाहिए, जिस पर **"विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए। निविदाकर्ता ₹5,000/- रुपये की वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी तरह से पूर्ण निविदा प्रस्ताव 07 नवंबर 2024 को सुबह 10:00 बजे तक जमा करेंगे। तकनीकी बोलियाँ 07 नवंबर 2024 को 15:00 बजे खोली जाएँगी। यदि ऊपर बताई गई किसी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा।

3. निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखना चाहिए और उसके सत्यापन के बाद बोली प्रस्तुत करनी चाहिए। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश



**भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश**

**विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों
को सूचीबद्ध करना**

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद अपने कार्यपालकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और प्राधिकृत व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में जब भी आवश्यक हो, के आधार पर, चार महीने की अवधि अर्थात् 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक (बैंक द्वारा मूल्यांकन किए जाने और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो और वर्षों तक वार्षिक आधार पर विस्तारित किया जा सकता है) के लिए कारों को किराए पर लेने के उद्देश्य से प्रतिष्ठित, अनुभवी और सक्षम कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए भाग-I और भाग-II में निविदाएं आमंत्रित करता है।

समाचार पत्र और आरबीआई की वेबसाइट पर निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2024 है।

अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी वेबसाइट <https://rbi.org.in> पर 'निविदाएं' लिंक पर जाएं।

मुहरबंद कोटेशन में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 07 नवंबर 2024 को दोपहर 12:00 बजे से पहले है। उक्त तिथि एवं समय के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

बैंक किसी भी निविदा या सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश**

भाग I

**भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश**

**विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों
को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा**

**भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद**

दावा अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (बैंक) ने विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में आवश्यकतानुसार/यथा आवश्यक आधार पर बैंक को कार/वाहन उपलब्ध कराने के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए बोली लगाने के लिए इच्छुक पक्षों को निविदा की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह निविदा दस्तावेज तैयार किया है। जबकि भारतीय रिज़र्व बैंक ने यहां दी गई जानकारी को तैयार करने में उचित सावधानी बरती है और इसे सही मानता है, भारतीय रिज़र्व बैंक और इसके किसी भी प्राधिकारी या एजेंसी और उनके संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, एजेंटों या सलाहकारों, प्रतिनिधित्व करने वाले, व्यक्ति या निहित, में से कोई भी इस दस्तावेज या इसके साथ प्रदान की जाने वाली किसी भी जानकारी में दी गई जानकारी की पूर्णता या सटीकता के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है।

निविदा न तो कोई करार है और न ही किसी भी पक्षकार को किसी भी प्रकार का काम करने के लिए आमंत्रण है। जानकारी संपूर्ण होना अभिप्रेत नहीं है। इच्छुक पक्षकारों को अपनी पूछताछ स्वयं करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है और निविदा प्रस्तुत करने में उन्होंने केवल भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं किया है। सूचना इस आधार पर दी जाती है कि यह भारतीय रिज़र्व बैंक या उसके किसी प्राधिकारी या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सलाहकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। यदि उत्तरदाताओं द्वारा कोई उचित जांच-पड़ताल नहीं की जाती है तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।

भारतीय रिज़र्व बैंक इस निविदा के साथ आगे न बढ़ने या निविदा के विन्यास को बदलने, इस दस्तावेज में परिलक्षित समय-सारणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्षकार के साथ इस मामले पर आगे चर्चा करने से इंकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

अपनी बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।



**भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश**

विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों
को सूचीबद्ध करना

अनुक्रमणिका

क्र.सं	विवरण	पृष्ठ सं.
1	निविदा की अनुसूची (एसओटी)	6
2	खंड I : निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)	10
3	खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश	20
4	खंड III: निविदा डेटा शीट	21-22
5	खंड IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड	23-24
6	खंड V: 1. संविदा की सामान्य शर्तें 2. संविदा की विशिष्ट शर्तें	26-34 35-41
7	खंड VI: मानक प्रारूप	42-57

भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश
निविदा अनुसूची (एसओटी)

1.	निविदा का नाम	विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में अपने अधिकारियों, कर्मचारियों और अधिकृत व्यक्तियों के उपयोग के लिए आवश्यकतानुसार चार महीने तक की अवधि के लिए अर्थात् 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक (भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश द्वारा मूल्यांकन और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो और वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है) के लिए कार किराए पर देने वाली एजेंसियों या कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए निविदा।
2.	निविदा का तरीका	ऑफ़लाइन प्रापण प्रणाली (ऑफ़लाइन भाग I – तकनीकी बोली और भाग II – वित्तीय / मूल्य बोली सीलबंद कोटेशन के माध्यम से)
3.	समाचार पत्रों में प्रेस नोटिस के प्रकाशन की तिथि और www.rbi.org.in पर वेबसाइट अधिसूचना	14 अक्टूबर 2024 (सोमवार)
4.	पक्षकारों के लिए एनआईटी डाउनलोड हेतु उपलब्ध होने की तिथि	14 अक्टूबर 2024 (सोमवार) 14:00 बजे से
5.	बोली-पूर्व बैठक	16 अक्टूबर 2024 को प्रातः 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में
6.	निविदा की अनुमानित लागत	₹2.5 लाख (दो लाख पचास हजार रुपये मात्र)
7.	₹5,000/- की बयाना राशि (ईएमडी) (निर्धारित तिथि और समय से पहले ईएमडी का भुगतान न करने पर अनुत्तरदायी माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा)	₹5,000/- (कुल संविदा मूल्य का 2% प्रत्येक बोलीदाता द्वारा 7 नवंबर 2024 को सुबह 10 बजे या उससे पहले एनईएफ़टी के माध्यम से जमा किया जाएगा) एनईएफ़टी के लिए विवरण लाभार्थी का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक खाता संख्या : 8614038 आईएफ़एससी : RBISOAPPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) नोट: एनईएफ़टी अंतरण की पुष्टि करने वाला ई-मेल तुरंत ibdapro@rbi.org.in पर भेजा जाए।
8.	सीलबंद कोटेशन के माध्यम से ऑफ़लाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए निविदा शुरू होने की तिथि	17 अक्टूबर 2024
9.	तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए निविदा बंद होने की तिथि	07 नवंबर 2024 को दोपहर 12 बजे तक

10.	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	07 नवंबर 2024 को 10:00 बजे से पहले
11.	निविदा भाग I के खुलने की तिथि/समय/स्थल	07 नवंबर 2024 को 15:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में
12.	निविदा भाग II के खुलने की तिथि/समय/स्थल	वित्तीय बोली के खुलने की तिथि और समय अलग से सूचित किया जाएगा।

निविदा दस्तावेज आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को बोली प्रस्तुत करने से पहले किसी भी संशोधन / शुद्धिपत्र / स्पष्टीकरण के लिए उक्त वेबसाइट की जांच करनी चाहिए। बैंक सबसे कम बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और किसी भी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। बैंक किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

**क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश**

विषय सूची

भाग 1 – निविदा प्रक्रिया:

खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश(आईटीबी)

खंड III: निविदा डेटा शीट

खंड IV: मूल्यांकन मानदंड

भाग 2 – संविदा की शर्तें और संविदा प्रपत्र:

खंड V: संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें

खंड VI: मानक फॉर्मेट

भाग 1 निविदा प्रक्रिया



भारतीय रिज़र्व बैंक

आंध्र प्रदेश

भाग I - निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद (जिसे आगे "बैंक" कहा जाएगा), विजयवाड़ा/विशाखापत्तनम/तिरुपति में आवश्यकता के आधार पर कार किराए पर लेने के उद्देश्य से अत्यधिक प्रतिष्ठित, अनुभवी और सक्षम कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए दो-बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के तहत निविदा आमंत्रित करता है। पैनल चार महीने की अवधि अर्थात् 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए होगा (भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश द्वारा मूल्यांकन किए जाने वाले और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन दो और वर्षों के लिए वार्षिक आधार पर बढ़ाया जा सकता है)।

2. उपरोक्त सूचीबद्धता के लिए, निविदाकर्ताओं को निविदा के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों के अनुसार, सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अपना प्रस्ताव 07 नवंबर 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप में एक सीलबंद लिफाफे (प्रत्येक दो भागों में) में जमा करना चाहिए, जिस पर **"विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराए पर देने वाली एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन"** लिखा होना चाहिए। निविदाकर्ता ₹5,000/- रुपये की वापसी योग्य बयाना राशि (ईएमडी) के साथ निर्धारित प्रारूप के अनुसार सभी तरह से पूर्ण निविदा प्रस्ताव 07 नवंबर 2024 को सुबह 10:00 बजे तक जमा करेंगे। तकनीकी बोलियाँ 07 नवंबर 2024 को 15:00 बजे खोली जाएँगी। यदि ऊपर बताई गई किसी तिथि को अवकाश घोषित किया जाता है, तो अगला कार्य दिवस यहां उल्लिखित संबंधित उद्देश्य के लिए प्रभावी होगा।

3. निविदा दस्तावेज वेबसाइट www.rbi.org.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इस निविदा के संबंध में कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण केवल वेबसाइट पर ही अपलोड किया जाएगा। निविदाकर्ता को किसी भी संशोधन/शुद्धिपत्र/स्पष्टीकरण के लिए उपरोक्त वेबसाइट को नियमित रूप से देखना चाहिए और उसके सत्यापन के बाद बोली प्रस्तुत करनी चाहिए। बैंक बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
आंध्र प्रदेश

खंड II – बोलीदाताओं के लिए निर्देश (आईटीबी)

खंडों की तालिका:

A. सामान्य:

1. निविदा का दायरा
2. निषिद्ध व्यवहार
3. पात्र निविदाकार

B. निविदा दस्तावेज की विषय-वस्तु:

4. निविदा दस्तावेज के खंड
5. निविदा दस्तावेज में स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक
6. निविदा दस्तावेज में संशोधन

C. निविदाएं तैयार करना:

7. निविदा की लागत
8. निविदा में शामिल दस्तावेज
9. निविदा पत्र
10. निविदाकार की योगता स्थापित करने वाले दस्तावेज
11. निविदाओं की वैधता अवधि
12. निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी

D. निविदाएं प्रस्तुत करना और खोलना:

13. निविदाओं को जमा करना, सील करना और चिह्नित करना
14. निविदाओं को प्रस्तुत करने की समय-सीमा
15. विलंबित निविदाएं
16. निविदा खोला जाना
17. गोपनीयता
18. निविदाओं का स्पष्टीकरण
19. निविदाओं का मूल्यांकन
20. निविदाकार की योग्यता
21. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार
22. कार्य प्रदान करने के मानदंड
23. कार्य प्रदान करने की अधिसूचना
24. निविदा पर हस्ताक्षर
25. निष्पादन प्रतिभूति

खंड II: बोलीदाताओं के लिए निर्देश

a. सामान्य

1.	निविदा का दायरा	बैंक विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में किराए पर कार देने वाली एजेंसियों के पैनल की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र निविदाकारों से निविदाएं आमंत्रित करता है। पैनल चार महीने (01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025) की अवधि के लिए होगा, जो सेवा प्रदाताओं के कार्य प्रदर्शन के आधार पर बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा के अधीन होगा। निविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें और कार्य का विस्तृत दायरा खंड V.1 और खंड V.2 में उल्लिखित है। निविदा का अनुमानित मूल्य रुपये 2.5 लाख प्रति वर्ष है।
2.	निषिद्ध व्यवहार	<p>2.1 बैंक की अपेक्षा है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकार निविदा / व्यवसाय की अवधि के दौरान नैतिकता के उच्चतम मानकों का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक:</p> <p>(a) इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध आचरणों के रूप में परिभाषित करता है:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) "भ्रष्ट आचरण" का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी मूल्य की पेशकश करना, देना, प्राप्त करना या मांगना। (ii) "कपटपूर्ण आचरण" का अर्थ है गलतबयानी सहित कोई भी ऐसा कोई भी कार्य या चूक, जो किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए जानबूझकर या लापरवाही से गुमराह करता है, या गुमराह करने का प्रयास करता है। (iii) "दमनकारी आचरण" का अर्थ किसी पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष या पक्ष की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानि पहुँचाना या नुकसान पहुँचाना या हानि या नुकसान पहुँचाने की धमकी देना है; और (iv) "सांठगांठ वाला आचरण" का अर्थ दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था है जिसे अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करना शामिल है। <p>(b) कार्य प्रदान करने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा यदि यह निर्धारित करता है कि कार्य प्रदान किए जाने के लिए अनुशंसित निविदाकार विचाराधीन निविदा पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करने के क्रम में प्रतिबंधित आचरण में संलिप्त रहा है।</p> <p>(c) किसी निविदाकार को अनिश्चित काल के लिए या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकार इस निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध आचरण में संलिप्त रहा है।</p> <p>2.2 इसके अलावा, निविदाकारों को खंड V (निविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें) में उल्लिखित प्रावधानों से अवगत होना चाहिए।</p>

<p>3.</p>	<p>पात्र निविदाकार/ पात्रता मानदंड</p> <p>(केवल वे एजेंसियां/ कंपनियां जो उल्लिखित मानदंडों को पूरा करती हैं, निविदा के लिए पात्र हैं)</p>	<p>3.1 निविदाकार अत्यधिक प्रतिष्ठित और सक्षम कार हायरिंग एजेंसी/कंपनी होनी चाहिए। बैंक द्वारा आम तौर पर अपेक्षित कारों का मेक/मॉडल और वह प्रारूप जिसमें दरों को उद्धृत किया जाना आवश्यक है, को वित्तीय बोली प्रारूप (फॉर्म II) में सूचीबद्ध किया गया है।</p> <p>3.2 निविदाकार के पास वाहनों की बुकिंग में प्रभावी समन्वय और अत्यंत अल्प अवधि सूचना पर भी की समय पर वाहनों को उपलब्ध कराने के लिए विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में अपना कार्यालय और सेटअप होना चाहिए। (विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में अपना कार्यालय होने का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है)।</p> <p>3.3 निविदाकार को परिवहन सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में न्यूनतम तीन (3) वर्षों का अनुभव और पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का वार्षिक औसत कारोबार 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, (आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना है)।</p> <p>3.4 निविदाकार को पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/उपक्रम/एमएनसी को संविदात्मक किराये पर कार देने का अनुभव होना चाहिए (दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए जैसे, संस्थाओं से प्राप्त अनुभव प्रमाण पत्र)।</p> <p>3.5 निविदाकार फर्म/एजेंसी/कंपनी के पास कम से कम 05 (पांच) कारों का बेड़ा होना चाहिए/या एजेंसी के निपटान में निम्नलिखित कार होने चाहिए, लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है: मारुति डिजायर, टोयोटा इटियोस, होंडा अमेज़, हयुंडे एक्सेंट, निसान सत्री, होंडा सिटी, मारुति सियाज़, टोयोटा इनोवा, इनोवा क्रिस्टा (7+1), इनोवा क्रिस्टा (6+1), टोयोटा कोरोला अल्टिस, होंडा सिविक, टोयोटा कैमरी, फॉर्च्युनर (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट/बुक की प्रतियां संलग्न करें)। एजेंसी के निपटान में बताई गई कारों के मामले में, बोली लगाने वाले को आरसी की प्रतियों के साथ संबंधित दस्तावेज (कार मालिकों के साथ करार) देने होंगे और पात्रता मानदंड के तहत ऐसे दस्तावेजों की पर्याप्तता और ऐसे वाहनों की स्वीकार्यता के बारे में रिज़र्व बैंक आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा। वाहनों के लिए वैध टैक्सी परमिट होना चाहिए और वाणिज्यिक वाहनों के रूप में भी पंजीकृत होना चाहिए।</p> <p>3.6 एजेंसी को वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय और अखिल भारतीय) वाले वाहन प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जो आरटीओ के साथ वाणिज्यिक वाहन के रूप में पंजीकृत हों और जिन्हें अन्य वैधानिक मंजूरी प्राप्त हो। सेवा प्रदाता यह सुनिश्चित करेगा कि करार की अवधि के दौरान, प्रदान किए गए वाहन पंजीकृत हैं और समय-समय पर संशोधित भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का अनुपालन करते हैं। (एमएसटीसी पोर्टल पर टैक्सी परमिट के दस्तावेजी साक्ष्य अपलोड करें)।</p> <p>3.7 एजेंसियों के पास टूर एंड ट्रेवल चलाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र होना चाहिए (दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड करें)।</p>
-----------	--	--

		<p>सेवा प्रदाता द्वारा बैंक के अतिथियों/अधिकारियों के साथ ड्यूटी के लिए भेजी गई सभी कारें वाणिज्यिक प्रकृति की होनी चाहिए, यानी उन्हें व्यावसायिक वाहन के रूप में आरटीओ में पंजीकृत होना चाहिए। ऐसे वाहनों की सूची <u>अनुबंध-III</u> के अनुसार प्रस्तुत की जानी है।</p> <p>3.8 एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कारों के आरसी बुक, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, एमिशन टेस्ट आदि सहित वैध कागजात हैं और चालकों के पास आरटीओ दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वैध ड्राइविंग लाइसेंस है और भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदान किए गए वाहन सड़क के अनुकूल होने चाहिए।</p> <p>3.9 निविदाकार के पास सभी लागू कर पंजीकरण (अर्थात् पैन, टिन, जीएसटीआईएन, आदि) होने चाहिए और उनके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।</p> <p>3.10 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रभावी भुगतान के लिए निविदाकार एजेंसी/कंपनी का चालू खाता किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में होना चाहिए।</p> <p>3.11 इच्छुक निविदाकारों द्वारा पात्रता मानदंडों को पूरा करने के संबंध में बैंक को संतुष्ट करने में विफल होने की स्थिति में और नियमों और शर्तों से विचलन वाली निविदा बैंक द्वारा अस्वीकार कर दी जाएगी और उसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी।</p> <p>नोट: दस्तावेजी साक्ष्य एमएसटीसी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाना चाहिए।</p>
4.	निविदा दस्तावेज के खंड	<p>निविदा दस्तावेज में भाग 1 और 2 शामिल हैं जिसमें नीचे दिए गए सभी खंड शामिल हैं और खंड II (बोलीदाताओं के लिए निर्देश) के अनुसरण में जारी किए गए किसी भी परिशिष्ट / अनुबंध के साथ पढ़ा जाना चाहिए।</p> <p><u>भाग 1 – निविदा प्रक्रिया:</u></p> <p>खंड I: निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी)</p> <p>खंड II: बोलीदाताओं / निविदाकारों के लिए निर्देश (आईटीबी)</p> <p>खंड III: निविदा डेटा शीट (टीडीएस)</p> <p>खंड IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड</p> <p><u>भाग 2 – संविदा की शर्तें और संविदा प्रपत्र</u></p> <p>खंड V: संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें</p> <p>खंड VI: मानक प्रपत्र (फॉर्मेट्स)</p>

5.	निविदा दस्तावेज के संबंध में स्पष्टीकरण और बोली-पूर्व बैठक	<p>5.1 इस दस्तावेज के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण चाहने वाले निविदाकार को 15 अक्टूबर 2024 तक इस दस्तावेज में उल्लिखित ईमेल पते पर लिखित रूप में बैंक से ई-मेल ibdapro@rbi.org.in पर संपर्क करना होगा या पूछताछ करनी होगी।</p> <p>5.2 बोली-पूर्व बैठक 16 अक्टूबर 2024 पूर्वाह्न 11:00 बजे भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में आयोजित की जाएगी।</p>
6.	निविदा दस्तावेज में संशोधन	<p>6.1 निविदाएं जमा करने की समय-सीमा से पहले, किसी भी समय, भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in)/ई-पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके बैंक द्वारा इस दस्तावेज में संशोधन किया जा सकता है और इसे समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जाएगा।</p> <p>6.2 जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का हिस्सा होगा।</p> <p>6.3 संभावित निविदाकारों को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी / सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से निविदा जमा करने की समय-सीमा का विस्तार कर सकता है।</p>
7.	निविदा की लागत	निविदाकार निविदा दस्तावेजों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से जुड़े सभी खर्चों को वहन करेगा और निविदा प्रक्रिया के संचालन या परिणाम कुछ भी क्यों न हो, बैंक उन खर्चों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।
8.	निविदा में शामिल दस्तावेज	<p>8.1 निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:</p> <ol style="list-style-type: none"> निविदा आमंत्रण सूचना तकनीकी बोली का विवरण वित्तीय बोली का विवरण बयाना जमा-राशि एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक के खाता संख्या: 8614038, IFSC: RBIS0APPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) में एनआईटी में दी गई तिथि को या उससे पहले जमा किया जाएगा। निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने हेतु पात्र होने के लिए निविदाकारों को आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल वेंडर(रों) की ईएमडी निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकारी द्वारा वापस कर दी जाएगी। ईएमडी के बिना प्राप्त प्रस्तावों को अनुत्तरदायी और अस्वीकृत माना जाएगा।

9.	निष्पादन बैंक गारंटी और निविदा पत्र	9.1 संविदा प्रदान करने के बाद सफल निविदाकारों द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी जमा की जाएगी। 9.2 निविदाकार एक सीलबंद लिफाफे में (प्रत्येक दो भागों में) निर्धारित फॉर्मेट्स में 07 नवंबर 2024 को दोपहर 12.00 बजे तक या उससे पहले विधिवत भरा हुआ निविदा आवेदन प्रस्तुत करेगा।
10.	निविदाकार की योग्यता स्थापित करने वाले दस्तावेज	खंड II (पैरा 3) के अनुसरण में, संविदा निष्पादित करने के लिए अपनी योग्यता स्थापित करने के लिए, निविदाकार खंड VI (मानक प्रारूप) में निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान करेगा।
11.	निविदा की वैधता की अवधि	निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी। असाधारण परिस्थितियों में, निविदा की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व, बैंक निविदाकारों से उनकी निविदाओं की वैधता अवधि बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है। अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में दिए जाएंगे।
12.	निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी	निविदा में बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए निविदाकारों को आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क जमा करना होगा। लेन-देन शुल्क अप्रतिदेय है। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निविदा प्रक्रिया पूरी होने के बाद बैंक द्वारा असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।
13.	निविदा जमा करना, सील करना और चिह्नित करना	13.1 निविदाकार को निर्धारित प्रारूप में एक सीलबंद लिफाफे (प्रत्येक दो भागों में) में निविदा प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसके ऊपर “विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार हायरिंग एजेंसियों / कंपनियों के पैनल में शामिल होने के लिए आवेदन” लिखा होना चाहिए। 13.2 निविदाकार तकनीकी बोली (भाग-I) और वित्तीय बोली (भाग-II) में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपनी वित्तीय बोली (प्रतिस्पर्धी दरें) जमा कर सकते हैं। निविदा सभी सूचनाओं के साथ निविदा प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी। 13.3 यदि वांछित/निर्धारित जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
14.	निविदा प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा	14.1 निविदा इस दस्तावेज़ में यथा उल्लिखित एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जानी चाहिए, और इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट तिथि और समय के भीतर ही जमा की जानी चाहिए। 14.2 बैंक अपने विवेक से निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाएं जमा करने की समय-सीमा बढ़ा सकता है।
15.	विलंबित निविदाएं	समय-सीमा समाप्त होने के बाद ई-पोर्टल पर किसी भी निविदा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

16.	निविदा खोला अजाना	बैंक निविदाकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों जो उपस्थित रहना चाहते हैं, की उपस्थिति में निविदा का भाग I-तकनीकी बोली खोलेगा। निविदा खोलने के लिए खंड-I में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, जिस निविदाकार की निविदा स्वीकार नहीं की जाती है, वह निविदा जमा करने के संबंध में वहन की गई किसी भी लागत, शुल्क, नुकसान और व्यय एवं आकस्मिक खर्च का दावा करने का हकदार नहीं होगा, भले ही बैंक निविदा को संशोधित / वापस लेने का चुनाव करता है।
17.	गोपनीयता	निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकारों या किसी भी अन्य व्यक्ति जो ऐसी प्रक्रिया से आधिकारिक तौर पर संबंधित नहीं हो, को खुलासा नहीं किया जाएगा जब तक कि सभी निविदाकारों को निविदा प्रदान किए जाने की सूचना नहीं दी जाती है।
18.	निविदा में स्पष्टीकरण	<p>18.1 निविदाओं की जांच, मूल्यांकन, तुलना और निविदाकारों की योग्यता में सहायता के लिए, बैंक अपने विवेक से, किसी भी निविदाकार को उसकी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकता है, उत्तर देने के लिए उचित समय दे सकता है। निविदाकार द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक द्वारा किए गए अनुरोध के उत्तर में नहीं है, उन पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगी। निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा पाई गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि के अलावा, कीमतों या निविदा के सार में किसी बदलाव के लिए नहीं कहा जाएगा, प्रस्तावित या अनुमति नहीं दी जाएगी।</p> <p>18.2 यदि कोई निविदाकार, स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा खारिज कर दी जाएगी।</p>
19.	निविदा का मूल्यांकन	बैंक इस निविदा के खंड IV में दिए गए मूल्यांकन मानदंड का उपयोग करेगा।
20.	निविदाकार की योग्यता	बैंक इस बात की तसल्ली करेगा कि चयनित निविदाकार तकनीकी बोली और वित्तीय बोली खंड II (पैरा 3) में योग्यता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।
21.	किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार	<p>21.1 बैंक न्यूनतम बोली वाले या किसी भी निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और कोई कारण बताए बिना या किसी भी समय निविदा प्रक्रिया को समाप्त कर सकता है, या इसके लिए निविदाकारों के प्रति उसकी कोई देयता नहीं होगी।</p> <p>21.2. बैंक अपने विवेक से उन संगठनों से क्लाइंट रिपोर्ट मांग सकता है जिनमें एजेंसी/कंपनी ने समान सेवाएं प्रदान की हैं। यदि कोई भी क्लाइंट रिपोर्ट संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो निविदा को सीधे तौर पर खारिज कर दिया जाएगा, और उनका भाग II (वित्तीय बोली) नहीं खोला जाएगा।</p> <p>इसके अलावा सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।</p>
22.	कार्य प्रदान करने के मानदंड	खंड IV (मूल्यांकन मानदंड) के अनुसार, बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने, किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार रखता है।

23.	कार्य प्रदान करने की अधिसूचना	<p>23.1 तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए जाने वाले निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य निविदाकारों (जो तकनीकी मूल्यांकन में योग्य पाए जाते हैं) के लिए लागू होगी। उपर्युक्त में से केवल ऐसे निविदाकारों को सूचीबद्ध करने पर विचार किया जाएगा जो वाहनों की प्रत्येक श्रेणी और यात्रा के प्रत्येक खंड के तहत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप से सहमत हों। पैनल में शामिल निविदाकारों को बारी-बारी से काम आवंटित किया जाएगा।</p> <p>23.2 जब तक औपचारिक संविदा तैयार और निष्पादित नहीं की जाती है, संविदा प्रदान करने की अधिसूचना एक बाध्यकारी संविदा का गठन करेगी।</p> <p>23.3 तकनीकी बोली मूल्यांकन में सफल निविदाकारों द्वारा कार/वाहन की प्रत्येक श्रेणी के लिए उद्धृत न्यूनतम दरों और यात्रा के प्रत्येक खंड के आधार पर बैंक द्वारा तैयार की गई किराया दर तालिका लिखित रूप में स्वीकृति के लिए उनके साथ साझा की जाएगी।</p>
24.	संविदा पर हस्ताक्षर करना	<p>24.1 सफल निविदाकार को गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर जिसका मूल्य ₹200/- से कम न हो, पर बैंक के साथ एक करार निष्पादित करना होगा। स्टाम्प शुल्क का वहन एवं भुगतान एजेंसी द्वारा किया जायेगा।</p> <p>24.2 निविदाकारों के लिए सामान्य निर्देश और विशेष शर्तें, जिन्हें इससे पूर्व संविदा की शर्तों के रूप में संदर्भित किया गया है और तकनीकी विनिर्देशनों तथा निविदा दस्तावेजों के साथ संलग्न आरेखों, बैंक और निविदाकार के बीच बाद में हुए पत्राचार और दिया गया कार्य आदेश, सफल निविदाकार के साथ अंतिम संविदा निष्पादित करने का आधार होंगे।</p> <p>24.3 निविदाकार संविदा की सामान्य शर्तों में दिए गए नियमों व शर्तों को ध्यान से पढ़ेगा और उसका प्रस्ताव उनमें निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही होगा। निर्दिष्ट नियमों व शर्तों से कोई विचलन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए ताकि वे संविदा की सामान्य शर्तों, तकनीकी विनिर्देशनों आदि से परिचित हो सकें।</p> <p>24.4 फर्म / कंपनी की ओर से प्रस्तुत निविदा पर फर्म / कंपनी के सभी पार्टनर / निदेशकों या एक ऐसे पार्टनर / निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके पास प्रस्तावित संविदा करने के लिए फर्म / कंपनी की ओर से आवश्यक अधिकार दिए गए हों, अन्यथा निविदा अस्वीकृत की जा सकती है।</p> <p>24.5 बैंक से निविदा की स्वीकृति सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकार संविदा को निष्पादित करने के लिए बाध्य होगा और उसके चौदह दिनों के भीतर, सफल निविदाकार बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा। करार पर हस्ताक्षर के बावजूद, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निविदा की लिखित स्वीकृति अपने आप में भारतीय रिज़र्व बैंक और निविदाकार व्यक्ति के बीच एक बाध्यकारी करार होगा, चाहे ऐसी संविदा बाद में निष्पादित हो अथवा नहीं हो।</p> <p>24.6 पैनल चार महीने (01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025) की अवधि के लिए वैध होगा। तथापि, संविदा को वार्षिक आधार पर (31 मार्च 2027 तक) बढ़ाया जा सकता है, जो कर्तव्यों के संतोषजनक प्रदर्शन और एजेंसियों द्वारा करार के सभी नियमों व शर्तों को उचित रूप से पूरा करने और पारस्परिक रूप से सहमत दर के अधीन है।</p>

25.	निष्पादन प्रतिभूति	<p>25.1 सफल निविदाकार खंड VI (मानक प्रारूप) के अनुसरण में, संविदा के साथ रु. 12,500 (रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) प्रस्तुत करेगा। पीबीजी संविदा की पूरी अवधि के लिए, जैसा भी मामला हो, वैध/नवीनीकृत होना चाहिए। पीबीजी संविदा अवधि समाप्त होने के बाद 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। पीबीजी प्राप्त होने पर ऐसे निविदाकार की ईएमडी वापस कर दी जाएगी।</p> <p>25.2. सफल निविदाकार द्वारा रु. 12,500 (रुपये बारह हजार पाँच सौ मात्र) की निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने या संविदा पर हस्ताक्षर करने में विफल होना कार्य सौंपने को रद्द करने, ईएमडी जब्त करने और ऐसे निविदाकारों को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार होगा।</p> <p>25.3. पीबीजी को संविदा अवधि पूरी होने के 2 महीने के बाद, बिना किसी ब्याज के, संविदा के सफलतापूर्वक पूरा होने और एजेंसी या उसके कर्मचारियों द्वारा कोई देनदारी नहीं होने के बाद ही, जारी किया जाएगा। किसी भी शिकायत या बकाया राशि के मामले में, निष्पादन बैंक गारंटी का भुगतान सभी बकाया, देयताओं आदि को समायोजित करने के बाद ही किया जाएगा।</p> <p>25.4 ईएमडी/प्रतिभूति जमा/निष्पादन बैंक गारंटी पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।</p>
-----	--------------------	--

खंड III – निविदा डेटा शीट

1	निविदा का दायरा
1.1	निविदा आमंत्रण करने वाला कार्यालय: भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद
1.2	निविदा का नाम: विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में कार किराये पर देने वाली एजेंसियों / कंपनियों को सूचीबद्ध करना
1.3	पात्र निविदाकार: निविदाकार खंड II के पैरा संख्या 3 में उल्लिखित पात्रता मानदंड को पूरा करेगा।

निविदा दस्तावेज

2	निविदा दस्तावेज का स्पष्टीकरण, निविदा-पूर्व बैठक
2.1	केवल स्पष्टीकरण उद्देश्यों के लिए, पता है: भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद
2.2	आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद में संपर्क सूत्र: (i) आरबीआई, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय ईमेल : ibdapro@rbi.org.in फोन नं. 040-23267355/7234/72388

3	निविदा में शामिल दस्तावेज
3.1	निविदा में निम्नलिखित शामिल होंगे:
(a)	निविदा आमंत्रण सूचना, बोलीदाताओं के लिए निर्देश, मूल्यांकन मानदंड और संविदा की सामान्य एवं विशिष्ट नियम व शर्तें।
(b)	खंड VI (मानक फॉर्मेट्स) के अनुसार तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के साथ-साथ प्रदर्शन बैंक गारंटी के लिए विभिन्न फॉर्मेट्स (प्रारूप)

4	निविदाओं की वैधता की अवधि
4.1	निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की होगी।

5	निविदा प्रतिभूति के रूप में ईएमडी / बैंक गारंटी
5.1	निविदाकार एनईएफटी के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक को 5,000 रुपये का ईएमडी खाता संख्या 8614038 और आईएफएससी - RBIS0APPA01 (5वां और 10वां अंक शून्य है) में प्रदान करेगा।

6	निविदाएं प्रस्तुत करना
6.1	सभी प्रकार से पूर्ण निविदा, सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी। निविदाकार "तकनीकी बोली" में दर्शाए गए अनुसार आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी प्रतिस्पर्धी दरें प्रस्तुत कर सकते हैं।

7	निविदा जमा करने की समय-सीमा
7.1	समस्त प्रकार से पूर्ण निविदाएं निम्नलिखित समय-सीमा के अनुसार प्रस्तुत की जाएंगी: दिनांक: 07 नवंबर 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक

8	निविदा का खुलना - भाग I
8.1	निविदा का भाग I निविदा आमंत्रित करने की सूचना में उल्लिखित तिथि और समय पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा। भाग II के खुलने की सूचना अलग से दी जाएगी।

खंड IV: मूल्यांकन / चयन मानदंड

1. तकनीकी बोली मूल्यांकन

<p>1.1 निविदाकार मानक प्रारूप के प्रपत्र 1 के अनुसार तकनीकी मूल्यांकन के लिए सूचना प्रस्तुत करेंगे।</p> <p>1.2 तकनीकी मूल्यांकन के लिए एमएसटीसी पोर्टल पर फॉर्म 1 में दर्शाए गए विभिन्न मदों के लिए सहायक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपलोड किए जाने चाहिए।</p> <p>1.3 बैंक निविदाकार द्वारा अपलोड की गई जानकारी और दस्तावेजों की पात्रता मानदंड को ध्यान में रखते हुए जांच करेगा और तकनीकी मूल्यांकन में योग्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैंकरो, मौजूदा ग्राहकों से फीडबैक का मूल्यांकन करेगा।</p>		
<p>1.4 इस प्रकार दी गई जानकारी का मूल्यांकन निम्नलिखित अंक मानदंड के अनुसार किया जाएगा: (अधिकतम अंक - 100):</p>		
विवरण	रेंज और अंक	अधिकतम अंक
a. संविदागत वाहनों सहित पात्रता मानदंड (खंड - II के पैरा 3) के विनिर्देश के अनुसार सुव्यवस्थित कारों के बेड़े का आकार।	<ul style="list-style-type: none">> 15 वाहन - 25 अंक10-15 - 15 अंक04-10 - 10 अंक	25
b. किराए पर वाहन उपलब्ध कराने के क्षेत्र में अनुभव	<ul style="list-style-type: none">10 वर्ष से अधिक - 25 अंक5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक - 15 अंक3 से 5 वर्ष - 10 अंक	25
c. निविदा के लिए अधिसूचित 05 वाहनों के बेड़े की औसत आयु (निर्माण की तारीख से)	<ul style="list-style-type: none">< 2 वर्ष - 25 अंक> 2 और < या 4 वर्ष के बराबर - 15 अंक> 4 वर्ष - 10 अंक	25
d. पिछले तीन वित्त वर्षों 2021-22, 2022-23 और 2023-24 का औसत कारोबार	<ul style="list-style-type: none">10 लाख रुपये से अधिक - 25 अंक05 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक - 15 अंक2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक - 10 अंक	25

1. निविदाकार के कुल अंक

- 2.1 पैनल में शामिल किये जाने के लिए विचार किये जाने हेतु न्यूनतम कट-ऑफ अंक **50** है।
- 2.2 बोलीदाताओं की गुणवत्ता, क्षमता और विश्वसनीयता इस निविदा में सर्वोपरि आवश्यकता है।
- 2.3 निविदा प्रदान करने का निर्णय निम्नानुसार किया जाएगा:
- 2.4 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 के लिए कुल अंकों में से 50 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले तकनीकी प्रस्तावों को ही पैनल में रखा जाएगा।
- 2.5 01 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए किए जाने वाले करार के लिए पैनल में शामिल बोलीदाताओं के लिए मूल्य बोलियों पर विचार किया जाएगा।

3. वित्तीय बोली मूल्यांकन

- 3.1 इस भाग में मूल्य केवल भारतीय रुपये में होगा और भाग-I निविदा के अनुसार शर्तों को पूरा करने के बाद ऑनलाइन खोला जाएगा। निविदा के भाग II में पाए जाने वाले नियमों और शर्तों में परिवर्तन और तकनीकी विचलन, यदि कोई हो, को ध्यान में नहीं रखा जाएगा और इसे शून्य माना जाएगा।
- 3.2 दरें केवल भारतीय रुपए में उद्धृत की जानी चाहिए। भाग II निविदा के खुलने के बाद दर या शर्तों में किसी भी परिवर्तन के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.3 उद्धृत दरें निविदा के भाग-II पर आधारित होंगी और पूरी संविदा अवधि तक बिना किसी वृद्धि के स्थिर और बाध्यकारी रहेंगी।
- 3.4 तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य निविदाकारों (जो तकनीकी मूल्यांकन में अर्हता प्राप्त करते हैं) के लिए लागू होगी। उपर्युक्त में से केवल उन्हीं निविदाकारों को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जाएगा जो प्रत्येक श्रेणी के वाहनों और यात्रा की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दरों पर काम करने के लिए लिखित रूप में सहमत हैं। पैनल में शामिल निविदाकारों के बीच बारी-बारी से कार्य आवंटित किया जाएगा।
- 3.5 तकनीकी बोली मूल्यांकन के सफल निविदाकारों द्वारा उद्धृत कार/वाहनों की प्रत्येक श्रेणी की कम दरों के आधार पर और यात्रा के प्रत्येक खंड के लिए बैंक द्वारा तैयार की गई किराया दर तालिका लिखित रूप में स्वीकृति के लिए उनके साथ साझा की जाएगी।
- 3.6 अंतिम सूचीकरण निविदाकारों द्वारा लिखित रूप में यह सूचित करने के बाद किया जाएगा कि बैंक द्वारा निर्धारित दरें और नियम और शर्तें और कार्य का दायरा, अनुबंध की विशिष्ट शर्तें और दिशा-निर्देश जैसा कि खंड V में सूचीबद्ध है पूरी तरह से स्वीकार्य हैं और उनका पूर्णरूपेण पालन किया जाएगा।
- 3.7 वित्तीय बोली के लिए कोई नियम और शर्तें नहीं दर्शाई जानी चाहिए अन्यथा इसे अमान्य माना जाएगा।

भाग 2
संविदा की शर्तें
एवं
संविदा फॉर्म

खंड V: संविदा की सामान्य और विशिष्ट शर्तें

A. संविदा की सामान्य शर्तें

1. निविदाकार निविदा आमंत्रण में बैंक द्वारा बताए गए स्रोत से निविदा दस्तावेज प्राप्त करेगा; अन्यथा, बैंक निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए जिम्मेदार नहीं है।
2. 2.1 सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
2.2 उद्धृत दरों के अंकों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दरों पर विचार किया जाएगा।
3. 3.1 निविदाकार से अपेक्षा की जाती है कि वह बोली जमा करने से पहले निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं को ध्यानपूर्वक पढ़ और समझ ले।
3.2 निविदा दस्तावेज में निर्धारित सभी/किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा को अस्वीकार किया जा सकता है।
4. 4.1. उद्धृत मूल्य केवल भारतीय रुपये में होगा और इसमें **जीएसटी** को छोड़कर सभी लागू कर **शामिल** होंगे।
4.2. निविदाकार का ट्रेक रिकॉर्ड अवैध गतिविधियों या वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल हुए बिना साफ होना चाहिए। प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप फर्म/कंपनी के मामले में पुलिस/न्यायालय/नियामक प्राधिकारियों के पास निविदाकार या प्रोपराइटर/पार्टनर/निदेशक के विरुद्ध ऐसा कोई मामला नहीं होना चाहिए।
4.3. किसी भी प्राधिकरण द्वारा किसी भी वैधानिक कानूनों के उल्लंघन के लिए निविदाकार पर मुकदमा नहीं चलाया गया होना चाहिए या कोई जुर्माना नहीं लगाया गया होना चाहिए। निविदाकार को किसी भी आधार पर भारत में किसी भी स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक सहित किसी भी संगठन द्वारा निलंबित/असूचीबद्ध / काली सूची / प्रतिबंधित या उसके खिलाफ शुरू की गई ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए (इस संबंध में पत्र शीर्ष पर स्व-घोषणा प्रस्तुत किया जाना है)।
4.4. निविदाकार को अनुबंध की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले अपने किसी भी ग्राहक द्वारा दिए गए किसी भी संविदा को रद्द/परित्यक्त नहीं होना चाहिए। निविदाकार अपने ग्राहकों के साथ हुए सभी विवादों का विवरण देगा और उसकी वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेगा।

5. निविदाओं की अयोग्यता/अस्वीकृति का कारण बनने वाली स्थितियां

- 5.1. निविदाकार द्वारा या उसकी ओर से कोई भी प्रचार या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए प्रक्रिया से अयोग्यता का कारण बन जाएगा। ऐसे निविदाकारों को अगले तीन वर्षों के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से होगी।
- 5.2. सभी निविदाएं समस्त प्रकार के संलग्नकों/अनुबंध आदि के साथ पूर्ण होनी चाहिए। अधूरे फॉर्म, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त या उचित दस्तावेजी साक्ष्य आदि के बिना प्राप्त

बोलियां, बैंक द्वारा तुरंत और सरसरी तौर पर खारिज कर दी जाएंगी।

- 5.3. फैंक्स या ईमेल या निर्दिष्ट माध्यम के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। इस मामले में किसी भी प्रकार के पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5.4. निर्धारित ईएमडी/प्रसंस्करण शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 5.5. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- 5.6. सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा और किसी भी अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 5.7. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी निविदा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकार द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई भी निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा को वापस लेने पर ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा।
- 5.8. प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव/विस्तार के अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. भुगतान की शर्तें

6.1 बैंक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों को छोड़कर, मासिक अंतराल पर प्राप्त पूर्ण और स्पष्ट बिलों का भुगतान पंद्रह दिनों के भीतर और स्पष्ट और पूर्ण बिलों की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों से पहले किया जाएगा।

6.1. (a) भारतीय कानूनों के अनुसार, लागू होने वाले करों की कटौती स्रोत पर की जाएगी और इसके लिए सेवा प्रदाता को एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

6.1. (b) जारी किए गए इनवॉइस/बिल को क्रम से क्रमांकित किया जाना चाहिए और इसमें सेवा प्रदाता का नाम और पता, सेवा प्राप्त करने वाले का नाम, सेवा का विवरण, उस पर देय करों का मूल्य आदि शामिल होना चाहिए। किसी भी आधार पर अग्रिम भुगतान करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

6.1. (c) बैंक द्वारा भुगतान किए गए करों को संबंधित सरकारी प्राधिकारियों को भेजना सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा।

6.2 सभी भुगतान केवल एनईएफटी/आरटीजीएस चैनल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, जिसके लिए आवश्यक खाता विवरण बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

6.3 एजेंसी द्वारा प्राप्त भुगतान के संबंध में किसी भी आपत्ति को भुगतान की तिथि से 10 दिनों के भीतर बैंक के ध्यान में लाया जा सकता है। यदि निर्धारित अवधि के भीतर ऐसी कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि भुगतान के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

6.4 सांविधिक कर में कोई भी परिवर्तन बैंक द्वारा वहन किया जाएगा।

7. संविदा प्रदान करने के बाद पूरी की जाने वाली आवश्यक अपेक्षाएं

7.1 सफल निविदाकार एक निष्पादन बैंक गारंटी निष्पादित करेंगे या एनईएफटी के माध्यम से जमा करेंगे जैसा कि खंड VI (मानक प्रारूप) में निर्दिष्ट है।

7.2 न्यूनतम दरों की स्वीकृति की लिखित पुष्टि के 15 दिनों के भीतर सफल निविदाकारों और बैंक के बीच करार पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। संविदा को दो प्रतियों में निष्पादित किया जाएगा। बैंक मूल प्रति अपने पास रखेगा और सेवा प्रदाता को डुप्लीकेट दिया जाएगा। स्टांप शुल्क सेवा प्रदाता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा।

7.3. बैंक से संबंधित ऐसी किसी भी जानकारी, जिसे स्वाभाविक तौर पर बैंक के लिए निजी या स्वामित्वकारी माना जाएगा, जो एजेंसी और/या उसके स्टाफ/ड्राइवरों को प्राप्त हो गयी हो और जिसके जारी होने से बैंक को तार्किक रूप से किसी भी तरह से नुकसान अपेक्षित हो सकता है, को एजेंसी और उसके स्टाफ/ड्राइवर, सिवाय तब जबकि बैंक द्वारा अधिकृत किया जाये या कानूनी रूप से अपेक्षित हो, प्रकट या उद्घाटित, या किसी भी उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं करेंगे। एजेंसी और उसके स्टाफ/ड्राइवरों की ओर से यह दायित्व संविदा की अवधि के दौरान और संविदा की अवधि के बाद भी अनिश्चित काल के लिए लागू होगा। एजेंसी और उसके कर्मचारी/ड्राइवर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचों / प्रणालियों / उपकरणों आदि के बारे में किसी भी जानकारी और विवरण का खुलासा नहीं करेंगे, जो इस पैनल के संबंध में संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान उसके कब्जे या ज्ञान में आ सकते हैं। किसी भी तीसरे पक्ष के लिए और हर समय सख्त रूप से गोपनीय रूप में इसे धारण करेगा। इसके तहत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, वह संविदा के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा। ठेकेदार बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकट या जाहिर नहीं करेगा। एजेंसी किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को हुए किसी भी नुकसान के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता को संविदा के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक नुकसान का दावा करने

और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा।

8. सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन

समय समय पर यथालागू विनियमों, जैसे केंद्र सरकार का न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस अधिनियम, नियोक्ता दायित्व अधिनियम, अनुबंध श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, कामगार मुआवजा अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम तथा राज्य और केंद्र सरकार के श्रम लाइसेंस, के अनुपालन की पूरी और एकतरफा जिम्मेदारी एजेंसी की होगी। इस संबंध में, एजेंसी सभी दावों के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी और कानून के अनुसार और सरकार के नियमों के अनुसार आवश्यक पुस्तकों, लॉग, रजिस्टर, सत्यापन, रिटर्न, रसीदें, कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस आदि को बनाए रखेगी और इसे संबंधित सरकारी अधिकारी/श्रम प्रवर्तन अधिकारी/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त आदि को निरीक्षण/सत्यापन के लिए आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराएगी। पंजीकरण संख्या सहित ऐसे सभी अनुपालनों, बयानों और सांविधिक प्राधिकारियों को किए गए भुगतान आदि की एक प्रति सत्यापन और रिकॉर्ड के लिए बैंक प्राधिकरण को, जब ऐसी मांग की जाए, प्रदान की जाएगी।

9. यौन उत्पीड़न की रोकथाम

- 9.1. एजेंसी "कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013" के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। बैंक के परिसर में, बैंक द्वारा किराए पर लिए गए परिसर में या किराए पर लिए गए किसी वाहन के उपयोग/किराए की अवधि के दौरान बैंक/बैंक के स्टाफ सदस्यों सहित किसी से प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायत के मामले में शिकायत निविदाकार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी और निविदाकार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत उचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। निविदाकार इस प्रयोजन के लिए आंतरिक शिकायत समिति के गठन की पुष्टि करेगा।
- 9.2. बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ एजेंसी के किसी भी पीड़ित कर्मचारी से यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत पर बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा।
- 9.3. यदि घटना में निविदाकार के कर्मचारी शामिल हैं तो ऐसे किसी भी मौद्रिक मुआवजे जिसका भुगतान करने की आवश्यकता हो, उदाहरण के लिए यदि निविदाकार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित होती है तो बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, के लिए एजेंसी जिम्मेदार होगी।
- 9.4. एजेंसी अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगी।

10. बैंक के अधिकार

10.1 निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियां खोलने की तिथि बढ़ाने का अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है।

10.2 बैंक के पास किसी भी / सभी आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी दायित्व के या बिना कोई कारण बताए निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।

10.3 बैंक बिना कोई कारण बताए कार्य के दायरे को एक से अधिक एजेंसी/एजेंसियों में विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके कारण किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

10.4 यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक प्रकृति के हैं और ये बैंक को सफल बोलीदाता के साथ करार को निष्पादित करते समय बोलीकर्ता को इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने, या यहां निहित नियमों और शर्तों, जैसा कि इस निविदा के अंतर्गत दिए जा रहे कार्य के सही और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाए, को बदलने, संशोधित करने या हटाने से नहीं रोकेंगे।

10.5 बैंक की राय में सेवा प्रदाता या उसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, वे किसी नोटिस या उसके एवज में मुआवजे के बिना तुरंत ही अर्थदंड और/या अनुबंध की समाप्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।

10.6 उपर्युक्त के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, संविदा की अवधि के दौरान, संविदा को दोनों ओर से एक महीने की नोटिस के साथ समाप्त किया जा सकता है।

11. विवाद निस्तारण

11.1 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/ सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।

11.2. समझौते के अंतर्गत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात् क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक, बंगलुरु को संदर्भित किया जाएगा, और लिखित रूप में उनका निर्णय, सेवा प्रदाता के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा। तथापि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जो मध्यस्थता के माध्यम से नहीं सुलझ पाता है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल बंगलुरु होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान विधियों का उपयोग किया जा सकता है।

12. अप्रत्याशित घटना

इस दस्तावेज़ में निहित कुछ भी होने के बावजूद, कोई भी पक्ष अपने दायित्वों को पूरा करने में किसी भी विलंब के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि ऐसा विलंब उसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होता है [जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों तथा प्रकृति के कृत्यों, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाएं, हड़तालें, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क की विफलता, आतंकवादी हमला, (घोषित और अघोषित) युद्ध] के कारण कोई विलंब शामिल है] बशर्ते कि ऐसा विलंब करने वाले पक्ष के आपूर्तिकर्ता द्वारा किसी भी विलंब के कारण दायित्व से राहत नहीं मिलेगी सिवाय उतना कि जहां तक ऐसा विलंब संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर है।

13. दावा अस्वीकरण

13.1 यद्यपि इस दस्तावेज़ को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, फिर भी निविदाकारों को स्वयं को संतुष्ट करना होगा कि दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना तत्काल इस कार्यालय को दी जाएगी। यदि एनआईटी की तिथि से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकार से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज़ सभी प्रकार से पूर्ण है।

13.2 बैंक के पास सभी प्रारूपों और अनुबंधों सहित इस दस्तावेज़ में सुधार और संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित है।

13.3 यद्यपि यह दस्तावेज़ सद्भावपूर्वक तैयार किया गया है, इस दस्तावेज़ के किसी भी बयान या चूक के लिए, या इसकी सटीकता, जानकारी की पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में बैंक तथा तो उनके कर्मचारी या सलाहकार कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, नहीं देते हैं या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, और इस दस्तावेज़ की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के लिए किसी भी विधि, क़ानून, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किए गए किसी कार्य या चूक के कारण हुई हो।

14. गोपनीयता कथन

14.1. इस निविदा दस्तावेज़ में निहित या बाद में बैंक की ओर से या उसके किसी कर्मचारी द्वारा, चाहे मौखिक रूप से या दस्तावेज़ी रूप में निविदाकार(ओं) को प्रदान की गई जानकारी, इस निविदा दस्तावेज़ में निर्धारित नियमों और शर्तों तथा उन अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी जिनके अंतर्गत वह जानकारी प्रदान की जाती है।

14.2. इस निविदा दस्तावेज़ का उद्देश्य निविदाकारों को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।

14.3. इस निविदा दस्तावेज़ में प्रत्येक निविदाकार की आवश्यकता वाली सभी जानकारी शामिल नहीं है।

- 14.4. यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है और बैंक और / या उसके कर्मचारियों के लिए यह संभव नहीं है कि वे इस निविदा दस्तावेज को पढ़ने या उपयोग करने वाले प्रत्येक बोलीदाता के निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और विशेष जरूरतों पर विचार करें। प्रत्येक निविदाकार को स्वयं अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करते हुए जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
- 14.5. प्रत्येक निविदाकार को स्वयं अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में दी गई जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करते हुए जहां भी आवश्यक हो उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सलाह प्राप्त करनी चाहिए।
- 14.6. बैंक और कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता को लेकर किसी भी कानून, संविधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं उठाएंगे।
- 14.7. यह दस्तावेज और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और पूरी तरह से निविदाकारों के उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

15. बीमा

सफल निविदाकार एक वर्ष के लिए संविदा मूल्य के लिए "समस्त जोखिम पॉलिसी" लेगा, जो उसके बाद तब नवीकरणीय होगा यदि बैंक द्वारा संविदा का नवीनीकरण किया जाता है। संविदा के दौरान व्यक्तियों, भवन या तीसरे पक्ष को किसी भी नुकसान या क्षति के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। यदि एजेंसी इन पॉलिसी को प्रदान नहीं करती है, तो बैंक एजेंसियों के बिल से नुकसान या क्षति की लागत की वसूली का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16. दरें

निविदाकारों द्वारा प्रस्तावित और बैंक द्वारा स्वीकृति दरें सात माह की अवधि के लिए वैध रहेंगी और संविदा के नवीनीकरण के समय उनकी समीक्षा की जा सकती है जो नवीनीकरण के समय की मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, यथा श्रम कानूनों या ईंधन मूल्य निर्धारण आदि को प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णय में कोई बड़ा परिवर्तन होने पर। हालांकि, यह केवल क्षेत्रीय निदेशक, आरबीआई, बेंगलुरु की अनुमति से किया जा सकता है।

17. गैर – प्रकटीकरण

एजेंसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी जानकारी या सामग्री और बैंक की संरचना / सिस्टम / उपकरण, आदि के विवरण, जो इस समझौते के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन के दौरान एजेंसी के कब्जे या ज्ञान में आ सकती है, का प्रकटीकरण किसी तीसरे पार्टी को नहीं करेगी और उसे हमेशा सख्त रूप से गोपनीय बनाए रखेगी। एजेंसी अनुबंध के ब्यौरे को, इसके अंतर्गत दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा को छोड़कर, निजी और गोपनीय मानेगी।

एजेंसी बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या अन्य जगहों पर कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित नहीं करेगी, या प्रकाशित/प्रकट करने की अनुमति नहीं देगी। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए एजेंसी बैंक को क्षतिपूर्ति करेगी। उपर्युक्त का पालन करने में विफलता एजेंसी की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपाय करने का हकदार होगा। एजेंसी यह सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगी कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी के गैर-प्रकटीकरण के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में एजेंसी का दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति के बाद भी बना रहेगा।

18. विक्रेता का दिवालियापन या मृत्यु:

विक्रेता के दिवालिया होने या स्वेच्छा से परिसमापन में जाने या उसके खिलाफ किए गए दिवाला अधिनियम के तहत आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होने की स्थिति में, या किसी कंपनी के नाम पर, या किसी भी प्रस्ताव को पारित करने, या किसी भी आदेश के लिए स्वेच्छा से या अन्यथा, या विक्रेता द्वारा यहां निर्दिष्ट किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, बैंक के पास बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त करने का प्राधिकार होगा। विक्रेता द्वारा पूर्वोक्त सहमति से अपने व्यवसाय को स्थानांतरित करने की स्थिति में, और विक्रेता का कोई कंपनी होने और इस संविदा की अवधि के दौरान किसी भी समय अपने व्यवसाय को किसी भी व्यक्ति या कंपनी को स्थानांतरित करने के उद्देश्य के लिए समाप्त किए जाने की स्थिति में, विक्रेता इसे अपनी संपत्ति और व्यवसाय के हस्तांतरण के लिए संविदा की शर्तों में से एक शर्त बना देगा, कि ऐसा अन्य व्यक्ति या कंपनी, इस संविदा के तहत विक्रेता के कर्तव्यों या कार्यों को जारी रखेंगे और उसके अंतर्गत उनकी देनदारियों के अधीन होंगे। मृत्यु का प्रमाण और इस आशय के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लिखित रूप में बैंक को प्रस्तुत किए जाएंगे। इस संविदा के तहत किसी भी अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एकल स्वामित्व वाली संस्था के मामले में यदि विक्रेता की मृत्यु हो जाती है, तो बैंक के पास कानूनी उत्तराधिकारियों को मुआवजे के बिना संविदा को समाप्त करने का विकल्प होगा, और इसे संविदा का उल्लंघन नहीं माना जायेगा।

19. संविदा निम्नलिखित में से किसी भी परिस्थिति में समाप्त समझी जाएगी:

19.1. **खंड वी (बी)** के पैरा 31 के अनुसार संविदा की अवधि की समाप्ति या समापन करने पर।

(अथवा)

19.2. बैंक द्वारा अनुबंध की अवधि के दौरान किसी भी समय नोटिस, यदि एजेंसी / कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं संतोषजनक नहीं पाई जाती हैं और सामान्य मानदंडों और सेवाओं के लिए निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं हैं, तो नोटिस अवधि की समाप्ति पर

(अथवा)

19.3. निविदाकार द्वारा संविदा के किसी भी नियम और शर्तों के उल्लंघन के लिए।

(अथवा)

19.4. संविदा या उसके किसी भाग को किसी तीसरे व्यक्ति को सौंपने पर, संविदा या उसके किसी भाग को या उसके अंतर्गत किसी लाभ या हित को किसी तीसरे व्यक्ति को उप-संविदा पर देने पर।

(अथवा)

19.5. सक्षम न्यायालय द्वारा एजेंसी/कंपनी को दिवालिया घोषित किए जाने पर।

20. संविदा की समाप्ति के लिए नोटिस अवधि के दौरान, निविदाकार नोटिस अवधि की समाप्ति तक अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करता रहेगा। निविदाकार का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आधार पर संविदा की समाप्ति पर उसके द्वारा तैनात सभी व्यक्तियों को हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि कोई भी व्यक्ति बैंक को प्रभावित करने वाली किसी भी प्रकार की बाधा/अवरोध/समस्या उत्पन्न न करे।

भाग V

B: संविदा की विशिष्ट शर्तें (एससीसी)

कार्य का व्यापक दायरा, अनुबंध की विशिष्ट शर्तें और भारतीय रिज़र्व बैंक को कार उपलब्ध कराने के लिए निविदाकारों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. जब भी बैंक द्वारा / बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माँग की जाए वातानुकूलित कार, एसयूवी आदि प्रदान करना, जैसे मारुति डिजायर, टोयोटा इटियोस, होंडा अमेज, ह्युंदई एक्सेंट, निसान सनी, होंडा सिटी, मारुति सियाज, टोयोटा इनोवा, इनोवा क्रिस्टा (7+1), इनोवा क्रिस्टा (6+1), टोयोटा करोला अल्टिस, होंडा सिविक, टोयोटा कैमरी, फॉरचूनर और इसी तरह के अन्य वाहन जाती है। एजेंसी के दस्ते में बताई गई कारों के मामले में, बोली लगाने वाले को आरसी की प्रतियों के साथ प्रासंगिक दस्तावेज (कार मालिकों के साथ करार) प्रदान करने होंगे और पात्रता मानदंड के तहत ऐसे दस्तावेजों की पर्याप्तता और ऐसे वाहनों की स्वीकार्यता पर आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।
2. एजेंसी/कंपनी वैध टैक्सी परमिट और अन्य वैधानिक मंजूरी वाले वाहनों की विभिन्न श्रेणियों को प्रदान करने में सक्षम होनी चाहिए। इन वाहनों को वाणिज्यिक वाहनों के रूप में आरटीओ के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
3. एजेंसी/कंपनी द्वारा बैंक को प्रदान किए गए सभी वाहनों के पास स्थानीय और पूरे भारत में यात्रा करने के लिए वैध परमिट होना चाहिए। सभी वाहन अच्छी स्थिति में होने चाहिए और अपहोल्स्ट्री आदि उचित स्थिति में होने चाहिए।
4. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि कारों की आर सी बुक, बीमा, मार्ग कर, उत्सर्जन परीक्षण आदि सहित वैध कागजात उपलब्ध हों, और चालकों के पास आरटीओ के दिशानिर्देशों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को उपलब्ध कराए गए वाहन सड़क में चलने लायक होने चाहिए।
5. वाहनों की बुकिंग में प्रभावी समन्वय और अल्प समय की सूचना पर भी वाहनों की समय पर उपलब्धता के लिए निविदाकर्ता का कार्यालय और व्यवस्थाएं मंगलूरु में होना चाहिए। वाहनों का प्रदूषण संबंधी वैध प्रमाणपत्र होना चाहिए।
6. सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्य निष्पादन गारंटी प्रस्तुत करनी होगी और ग्राहक सेवा में कमी और नियमों तथा शर्तों का पालन न करने पर बैंक को क्षतिपूर्ति करने के लिए बैंक के साथ एक लिखित किरायानामा भी करना होगा।
7. निविदाकार द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध-सरकारी संगठन या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/उपक्रम/एमएनसी को संविदात्मक किराए पर कार प्रदान की जानी / की गई होनी चाहिए (इसे दस्तावेजी साक्ष्य, जैसे - संस्थानों से अनुभव प्रमाण-पत्र द्वारा समर्थित होना चाहिए)।
8. कोविड-19 संबंधी सावधानियां: वाहनों को सैनिटाइज किया जाना चाहिए, और ड्राइवर को यात्रा के दौरान हर

समय मास्क पहनना चाहिए और कोविड-19 सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए। बैंक का अधिकृत अधिकारी स्वच्छता (सैनिटाइजेशन) की आवश्यकता को सत्यापित करने के लिए वाहन की औचक जांच/निरीक्षण करेगा। कोई भी कमी पाए जाने पर बैंक को उस यात्रा के लिए बिल की राशि के बराबर जुर्माना लगाने और उसका समायोजन निविदाकार को देय राशि से या जमानत राशि से करने का अधिकार होगा।

9. हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन पर कई निकास पॉइंट/गेट होने पर, ड्राइवर (ड्राइवर) को उड़ान उतरने/ट्रेन के आगमन के बाद किसी विशेष निकास पॉइंट/गेट पर अपनी उपस्थिति के बारे में अतिथि को सूचित करना चाहिए। चालकों को उनके आगमन का पता लगाने के लिए उपयोगकर्ताओं के कॉल करने की प्रतीक्षा करने के बजाय उपयोगकर्ताओं को पिकअप स्थान पर अपने आगमन के बारे में फोन करके सूचित करना चाहिए।

10. तैनात ड्राइवर के पास एक वैध वाहन चालन अनुज्ञप्ति (ड्राइविंग लाइसेंस) होना चाहिए, जिसे ट्रैफिक कर्मियों / कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा मांग किए जाने पर उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण एजेंसी/कंपनी की जिम्मेदारी होगी।

11. तैनात किए गए चालकों का नैतिक चरित्र अच्छा और गाड़ी चलाने का उचित अनुभव होना चाहिए तथा उन्हें अंग्रेजी, तेलुगू और हिंदी में बातचीत करने में सक्षम होना चाहिए। ड्राइवर द्वारा गैर-अनुशासित व्यवहार की किसी भी घटना को बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मार्ग में वाहनों की मामूली मरम्मत करने में सक्षम होना चाहिए।

12. ड्राइवर को स्वच्छ वर्दी पहनकर निर्दिष्ट समय से 15 मिनट पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। उसे दैनिक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और अधिकृत उपयोगकर्ता द्वारा इसे प्रमाणित कराना चाहिए। ड्राइवर को सेवा का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित यात्रा के किलोमीटर / छोड़ने के समय आदि के पूर्ण विवरण के साथ ड्यूटी स्लिप संधारित करना चाहिए। इसके अलावा उसे हर समय विनम्र, शिष्ट और सेवोन्मुख होना चाहिए। मांग किए जाने पर उसे अतिथि को अपना मोबाइल नंबर देना चाहिए।

13. ड्राइवर को हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन आदि पर बैंक द्वारा यथा प्रदान किए गए आगंतुक अतिथि / अधिकारी के विवरण वाली एक तख्ती (प्लेकार्ड) लेकर जाना होगा। एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि अतिथियों को शिकायतों का कोई मौका नहीं दिया जाए।

14. बैंक गैरेज से यात्रा प्रारंभ करने के स्थान (स्टार्ट-पॉइंट) और यात्रा समाप्ति के स्थान से गैरेज -दोनों के बीच वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा। टोल और पार्किंग शुल्क अतिरिक्त होगा, जो मूल रसीद प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

15. कार बुकिंग के दौरान प्रतिदिन वाहनों में 500 मिली की मिनरल वाटर की दो ब्रांडेड (अर्थात बिसलेरी, किनले, एक्काफिना, हिमालय आदि) बोतलें, फेस टिशू पेपर (पाउच में), प्राथमिक उपचार पेटी, अग्निशामक, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और दो समाचार पत्र – एक राष्ट्रीय और एक वित्तीय उपलब्ध कराए जाने चाहिए। इन सुविधाओं और उपयोगिताओं के लिए बैंक द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

16. प्रत्येक वाहन में संबंधित चालकों के पास प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात, अर्थात - बीमा, पंजीकरण, मार्ग कर, प्रदूषण, परमिट, वैध अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) आदि आसानी से उपलब्ध होना चाहिए।

17. बैंक को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने पर, एजेंसी/कंपनी के पास आपातकालीन परिवहन/पर्यटन सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था के अलावा सरकार/बीमा प्राधिकरणों के साथ संपर्क करने की क्षमता होनी चाहिए। खराबी होने पर, वैकल्पिक वाहनों की भी तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए।

18. लिखित या फोन पर मौखिक निर्देशों पर एजेंसी / कंपनी उसमें निर्दिष्ट समय के भीतर कार (कारें) प्रदान करेगी। एजेंसी / कंपनी से बैंक को अल्प सूचना (आपातकाल में एक घंटे के भीतर) पर कार (कारें) प्रदान करने की भी अपेक्षा होगी। यदि एजेंसी / कंपनी मौखिक रूप से फोन पर या लिखित रूप में हमारे अनुरोध पर कार (कारें) प्रदान करने में विफल रहती है, तो बैंक परिवहन प्रदाताओं के पैनल से एजेंसी / कंपनी को हटाने के लिए स्वतंत्र होगा। यदि वाहन दुर्घटनाग्रस्त होता है, तो उस दिन के लिए कोई भुगतान स्वीकार्य नहीं होगा।

19. बैंक द्वारा एजेंसी/कंपनी को उचित अवसर देने के बाद ही जुर्माना लगाया जाएगा। विवाद होने पर क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक के पास अपील की जा सकती है, इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा।

20. एजेंसी / कंपनी ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केंद्रीय नियममावली 1971, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, मजदूरी संदाय अधिनियम 1936, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम (प्रकीर्ण उपबंध) 1952, बोनस संदाय अधिनियम 1965, नियोजक देयता अधिनियम 1938, बाल रोजगार अधिनियम 1938, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और/या कोई अन्य नियम / विनियम और/या क़ानून जो उन पर लागू हो सकते हैं और समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं, के प्रावधान का पालन करेगी। बैंक जब भी आवश्यक समझे ऐसे अनुपालन के प्रमाण मांगने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और निविदाकार उसी का पालन करेगा। निविदाकार उपर्युक्त विधायी अधिनियमों या किसी अन्य वैधानिक प्रावधानों के प्रावधान के किसी भी उल्लंघन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा और उपर्युक्त वैधानिक प्रावधानों के गैर-अनुपालन से उत्पन्न होने वाले चूक, दोष, उल्लंघन और/या किसी भी दावे, मांग, हानि, चोट और व्यय के सभी कृत्यों के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। इसके तहत और/या उक्त अधिनियमों / नियमों / विनियमों / या इनमें से किसी भी उपनियम या नियमों के तहत किसी भी दायित्व को पूरा करने में निविदाकार के विफल होने पर बैंक निविदाकार के मासिक भुगतान और प्रतिभूति / सुरक्षा जमाराशि से ऐसे दावों, मांग, हानि या चोट के कारण होने वाले किसी भी नुकसान या व्यय को वसूल करने

का हकदार होगा।

21. एजेंसी / कंपनी द्वारा काम पर रखे गए ड्राइवर / व्यक्ति एजेंसी / कंपनी के कर्मचारी होंगे और न ही एजेंसी / कंपनी और न ही उनके चालकों / कर्मियों को बैंक में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा। निविदाकार और काम पर रखे गए व्यक्तियों और बैंक के बीच नियोक्ता - कर्मचारी का कोई संबंध नहीं होगा।

22. एजेंसी / कंपनी द्वारा काम पर रखे गए ड्राइवर / कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों / गार्डों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करेंगे और वाहन / व्यक्तियों को जब कभी आवश्यक होगा उन्हें सुरक्षा जांच से गुजरना होगा।

23. एजेंसी / कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कार्मिक लिखित रूप में बैंक की सहमति के बिना किसी भी समय, बैंक द्वारा किए गए या संभाले गए किसी भी भरोसे, लेखा मामले या लेनदेन को प्रकट नहीं करते हैं या उसकी जानकारी नहीं देते हैं और किसी को भी बैंक के कामकाज के बारे में कोई जानकारी नहीं बताएंगे। यह शर्त उस जानकारी पर लागू नहीं होता है, जो सार्वजनिक हो जाती है।

24. एजेंसी / कंपनी उनके द्वारा काम पर रखे गए व्यक्तियों के पूर्ववृत्त के संबंध में पुलिस / पृष्ठभूमि सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रदान करने की व्यवस्था करेगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा बैंक के कार्य हेतु कोई अवांछनीय व्यक्ति काम पर नहीं रखा गया है। निविदाकार अपने द्वारा तैनात किए गए व्यक्तियों की हालिया तस्वीर के साथ नाम, माता-पिता, आवासीय पता, आयु आदि जैसे विवरण प्रस्तुत करेगा। कार्य के लिए तैनात किए गए निविदाकार के कर्मचारियों की उचित पहचान के उद्देश्य से, वह उनको पहचान पत्र जारी करेगा जिसमें उनकी तस्वीरों/पहचान आदि हों और ऐसे कर्मचारी ड्यूटी के समय अपने पहचान पत्र प्रदर्शित करेंगे।

25. सफलता प्राप्त करने वाली एजेंसी / कंपनी गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर, जिसका मूल्य ₹200/- से कम न हो, पर स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर बैंक के साथ एक करार करेगी। हालांकि, बैंक द्वारा स्वीकृति पत्र जारी करने को बाध्यकारी निविदा माना जाएगा, मानो इस तरह का समझौता किया गया हो, तथा सभी शर्तें और निबंधन इस निविदा पर लागू होंगी। आम तौर पर, निविदा सात महीने के लिए वैध होगा, जिसे एजेंसी/कंपनी के उचित प्रदर्शन मूल्यांकन के बाद नवीनीकृत किया जा सकता है। निविदा की अवधि समाप्त होने बाद बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों के अनुसार एजेंसी द्वारा संतोषजनक प्रदर्शन किए जाने पर उसे दो वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकता है। मुद्रांक शुल्क का वहन एजेंसी / कंपनी करेगी और उसका भुगतान भी वही करेगी।

26. बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेंगी। श्रम कानूनों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों या ईंधन मूल्य निर्धारण को प्रभावित करने वाले सरकारी निर्णय आदि को देखते हुए निविदा के नवीनीकरण के समय इनकी समीक्षा की जा सकती है। इसे सिर्फ बैंक के क्षेत्रीय निदेशक की पूर्व अनुमति से किया जाएगा।

27. एजेंसी / कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उपलब्ध कराई जाने वाली कारें पांच वर्षों से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

28. एजेंसी / कंपनी को कार के विवरण जैसे कार निर्माता कंपनी और उसका प्रकार, कार का पंजीकरण नंबर, ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर की सूचना बैंक के कार डेस्क पदाधिकारियों और कार के उपयोगकर्ता को उनके आगमन/प्रस्थान के कम से कम चार घंटे पहले अनिवार्य रूप से देना होगा।

29. बैंक के अतिथि/उपयोगकर्ता अधिकारी के पास रिपोर्ट कर देने के पश्चात ड्राइवर को पूरे समय कार के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

30. यदि एजेंसी / कंपनी या उसके एजेंट / कर्मचारी / ड्राइवर करार में उल्लिखित शर्तों और निबंधनों का उल्लंघन करते हैं और / या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, तो किसी पूर्व सूचना या करार को समाप्त किया जा सकता है या उसके बदले कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

31. उपर्युक्त पूर्वाग्रह की अनुपस्थिति में, यह संविदा संविदा-अवधि के अंतिम दिन समाप्त होगी या संविदा के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से एक महीने की पूर्व सूचना के साथ समाप्त की जा सकती है।

32. एजेंसी/कंपनी/निविदाकार फर्म/कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उनके द्वारा प्रदान की गई टैक्सी मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत पंजीकृत हों।

33. ड्राइवर बैंक के अधिकृत अधिकारियों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करेंगे और निरापद होने तथा सुरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेंगे।

34. समयबद्धता और सेवा की गुणवत्ता करार की मुख्य बातें होंगी। इसलिए, समझौते का नवीनीकरण एजेंसी / कंपनी द्वारा समयबद्धता और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा।

35. परिनिर्धारित हर्जाना

a. सेवाओं में कमी / चूक और बैंक तथा उसके पदाधिकारियों को हुई गंभीर असुविधा के लिए या जिनके लिए बैंक सेवा प्रदान करने का निर्देश देता है, जुर्माना लगाया जाएगा जो संबंधित घटना के लिए अनुमानित बिल के 25% से अधिक नहीं होगा। हालांकि, बैंक उचित नोटिस देने के बाद जुर्माना लगाएगा। विवाद होने पर, इस मामले में क्षेत्रीय निदेशक का निर्णय अंतिम होगा। बैंक द्वारा जब कभी भी, रात में / भोर के वक्त, मांगी जाए, बिना किसी पूर्वाग्रह के टैक्सी/वाहन उपलब्ध कराने की पूरी जिम्मेदारी एजेंसी / कंपनी की होगी। बिना किसी पूर्वाग्रह के, किसी भी प्रकार के विलंब हेतु बैंक द्वारा उचित समझा जाने वाला दंड लगाया जाएगा।

b. एजेंसी / कंपनी को अपने वाहन (वाहनों) के खराब होने पर वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। ऐसा करने में विफल होने पर, इस संबंध में बैंक द्वारा किए गए सभी खर्चों की भरपाई की जिम्मेदारी एजेंसी / कंपनी की होगी और इसे एजेंसी / कंपनी के बिल से काट लिया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और परिड्राइवर

(ऑपरेटर) के लिए बाध्यकारी होगा। इस तरह का हर्जाना ऊपर पैरा (क) के तहत लगाए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त होगा। जुर्माना और मुआवजा, यदि कोई हो, की कटौती एजेंसी / कंपनी के किसी भी लंबित बिल से की जाएगी।

36. **कर:** उद्धृत कीमतों में माल और सेवा कर को छोड़कर केंद्र / राज्य सरकार / स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए सभी कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, स्थानीय लेवी, कार्य निविदा कर, मूल्य वर्धित कर (वैट), सेवा कर आदि शामिल माने जाएंगे, जो सरकारी अधिसूचनाओं के अनुसार लागू होगा।

यदि निविदाकार निविदा में ऐसे करें और शुल्कों को शामिल करने में विफल रहता है, तो बाद में बैंक द्वारा इस संबंध में कोई अलग दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय कानूनों के अनुसार, आयकर स्रोत पर काटा जाएगा और इसके लिए एजेंसी / कंपनी को एक प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। निविदाकार पर यह बाध्यकारी होगा कि वह बैंक द्वारा बिलों पर भुगतान किए गए करें को संबंधित सरकारी प्राधिकरणों को प्रेषित करे। एजेंसी / कंपनी के पास प्रस्तुत किए जाने वाले बीजकों पर वैध और सक्रिय जीएसटीआईएन होना चाहिए। यदि जीएसटीआईएन सं. की अवधि समाप्त हो गई हो तो, इसके कारण उत्पन्न होने वाली किसी भी वैधानिक देयता की जिम्मेदारी सिर्फ निविदाकार की होगी।

37. **क्षतिपूर्ति:** करार की अवधि के दौरान एजेंसी / कंपनी द्वारा तैनात ड्राइवर द्वारा व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को किए गए किसी भी नुकसान या क्षति की बैंक को क्षतिपूर्ति एजेंसी / कंपनी द्वारा की जाएगी। उपर्युक्त के अभाव में, बैंक को हुए नुकसान या क्षति की लागत की वसूली एजेंसी / कंपनी के लंबित बिल से करने का अधिकार बैंक के पास रहेगा।

38. निविदाकर्ता की मृत्यु, अशक्तता, दिवालियापन या किसी अन्य कारण या परिस्थितियों के कारण उत्पन्न होने वाली अत्यावश्यक स्थिति में, निविदा की देनदारियों का वहन बैंक द्वारा उचित समझी जाने वाली शर्तों और निबंधनों के अनुसार निम्नलिखित द्वारा किया जाएगा, जो नामतः इस प्रकार हैं:

a. एकल मालिक होने पर विधिमान्य वारिस।

b. कंपनी या फर्म होने पर, मामले के अनुसार, अगले निदेशक / साझेदार।

39. **बीमा:** सफल निविदाकर्ता अपने बेड़े में सभी वाहनों के लिए सात महीने के लिए निविदा मूल्य की सीमा तक "ऑल रिस्क पॉलिसी" लेगा, जिसका बाद में नवीनीकरण किया जा सके, यदि बैंक द्वारा निविदा का नवीनीकरण किया जाता है। निविदा की अवधि के दौरान व्यक्तियों या भवन या तीसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान या क्षति के लिए बैंक को क्षतिपूर्ति निविदाकर्ता करेगा। यदि निविदाकर्ता इन पॉलिसियों को उपलब्ध नहीं कराता है, तो निविदाकर्ता के बिल से नुकसान या क्षति की लागत की वसूली का अधिकार बैंक के पास रहेगा।

40. यहां निर्दिष्ट शर्तें और निबंधन सांकेतिक हैं और यह बैंक को सफल बोली लगाने वाला के साथ करार करने के समय बोली लगाने वाले को आगे इस तरह के या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने या सहमत होने की आवश्यकता या उन्हें बदलने, संशोधित करने या इसमें निहित शर्तों और निबंधनों को छोड़ने, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है, में बाधा नहीं बनेंगी।

41. निविदाकर्ता बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों और मेहमानों को कार प्रदान करते समय कार्य के व्यापक दायरे, निविदा की विशिष्ट शर्तों और उपर्युक्त दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए सहमत है।

मैं/हम एतद् द्वारा घोषणा करता हूं / करते हैं कि मैंने /हमने निविदाकारों के मार्गदर्शन संबंधी उपर्युक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है।

गवाह
पता

निविदाकार के हस्ताक्षर
पता

दिनांक :

दिनांक :

खंड VI: मानक प्रपत्र

प्रपत्र 1	तकनीकी बोली के विवरण
प्रपत्र 2	वित्तीय बोली के विवरण
प्रपत्र 3	निष्पादन संबंधी बैंक गारंटी

भाग I – तकनीकी बोली

निविदाकार का नाम : _____

पता :

संपर्क सं. : _____

निविदाकार द्वारा तकनीकी बोली
(आवेदक के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

निविदाकार का नाम:

पता:

क्र.सं.	विवरण	निविदाकार द्वारा भरे जाने हेतु विवरण
1.	संगठन का नाम	
2.	<p>क) संगठन का प्रकार (मालिकाना/साझेदारी/एलएलपी/प्राइवेट लिमिटेड/लिमिटेड कंपनी)</p> <p>ख) स्थापना की तिथि</p> <p>ग) पंजीकरण का विवरण (फर्म, कंपनी आदि।), पंजीकरण प्राधिकरण, दिनांक, संख्या आदि, (एकल स्वामित्व के मामले में लागू नहीं)।</p> <p>कृपया इनके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।</p>	
3.	पदनाम के साथ संगठन के मालिक/साझेदार/निदेशकों का नाम	
4.	<p>टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर और ई-मेल के साथ संगठन का पंजीकृत कार्यालय / कारोबारी पता</p> <p>क) क्या विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में अपना कार्यालय है</p> <p>ख) विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में स्थानीय कार्यालय का पता</p> <p>ग) प्राधिकृत पदाधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर</p> <p>कृपया इनके समर्थन में प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न करें।</p>	
5.	<p>कार्य अनुभव - अनुबंध - । अ के अनुसार पात्रता मानदंड और कार्य आदेशों, दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों द्वारा समर्थित नियमों और शर्तों में आवश्यकता के अनुसार कार्य अनुभव का विवरण।</p> <p>भारतीय रिज़र्व बैंक के किसी भी केंद्र में या सरकारी/अर्ध-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) में कार/टैक्सी किराये पर देने की सेवाएं प्रदान करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के साथ विवरण भी दिया जाना चाहिए।</p>	

6.	क्या पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2019-20, 2021-22, 2022-23 (अनंतिम) (वित्त वर्ष 2020-21 को महामारी का वर्ष होने के कारण छोड़कर) का औसत वार्षिक कारोबार न्यूनतम ₹10 लाख रहा है (टर्नओवर के प्रमाण के रूप में पुष्टिकारक संलग्न किए जाने चाहिए)।	
----	---	--

7.	पिछले तीन वित्तीय वर्षों, वित्त वर्ष 2019-20, 2021-22, 2022-23 (अनंतिम) (वित्त वर्ष 2020-21 को महामारी का वर्ष होने के कारण छोड़कर) की आयकर विवरणियां (स्व-सत्यापित प्रति प्रस्तुत की जानी है)	
8.	क्या ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) केंद्रीय नियम, 1971 के तहत श्रम विभाग में पंजीकृत हैं, या एमएसएमई हैं ? यदि हां, तो पंजीकरण की तारीख का उल्लेख करें। (प्रमाण-पत्र / पंजीकरण की प्रति प्रस्तुत की जानी है)।	
9.	बैंकों का नाम और पता। कृपया इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंक से एक प्रमाण-पत्र संलग्न करें। अनुबंध - I और II	
10.	वाहन के प्रकार/निर्माता कंपनी/मॉडल जैसे विवरण के साथ स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या। उनके पंजीकरण टैक्सी परमिट संख्या आदि के साथ वाहन की स्थिति / आयु (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)। बेड़े में वाहनों की सूची उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र / फिटनेस की फोटोकॉपी के साथ वाले अनुबंध - III के अनुसार प्रस्तुत करने के लिए स्वामित्व वाले परमिट।	
11.	क्या संगठन दुकान एवं स्थापना अधिनियम (शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट) के तहत पंजीकृत है और उसके पास टूर और टैवल्स परिचालन के लिए आवश्यक प्रमाण-पत्र है। (एमएसटीसी पोर्टल पर प्रतियां अपलोड की जाएं)	
12.	पूर्ण विवरण के साथ मौजूदा ग्राहकों का नाम और पता। अनुबंध - IV के अनुसार शीर्ष तीन मौजूदा ग्राहकों का फीडबैक आवश्यक है।	
13.	बैंक खाता (आईएफएससी कोड और खाता संख्या) जहां संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जाएगा।	
14.	पैन और जीएसटी विवरण (एमएसटीसी पोर्टल पर प्रतियां अपलोड की जाएं)	

तकनीकी बोली हेतु प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की प्रतियां

- लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणियां (वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24)
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 की आयकर विवरणियां
- पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 के लेखापरीक्षित

तुलन-पत्र

- d. बैंकरों के विवरण (अनुबंध-I)
- e. वित्तीय स्थिति से संबंधित बैंकर का प्रमाण-पत्र (अनुबंध-II)
- f. ग्राहकों की सूची।
- g. ग्राहकों का फीडबैक (अनुबंध-IV) (कम से कम 3).
- h. फर्म के निगमन दस्तावेज

- i. पैन (पीएएन), टिन (टीआईएन) एवं जीएसटी की प्रतियां, जहां कहीं प्रयोज्य हों।
- j. स्वामित्व वाली कारों की सूची (अनुबंध-III)।
- k. कारों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
- l. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/एजेंसी की मुहर के साथ मुख्तारनामा / प्राधिकार।
- m. सेवा कर पंजीकरण।
- n. कोई अन्य दस्तावेज (कृपया विस्तृत विवरण दें)।

बैंक के पास प्रमाण मांगने/प्रस्तुत जानकारी को सत्यापित करने का अधिकार सुरक्षित है।

घोषणा :

1. उपर्युक्त जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि कोई जानकारी असत्य या गलत पाई जाती है, तो मुझे / हमें निविदा प्रक्रिया / निविदा दिए जाने से वंचित किया जा सकता है।
2. मैं / हम बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों और निबंधनों का पालन करने के लिए सहमत हूं / हैं।
3. मैं/हम इस बात से भी सहमत हूं / हैं कि मेरी / हमारी निविदा निविदा के **भाग I** के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए मान्य रहेगी और वैधता की इस अवधि को बैंक और निविदाकार की लिखित रूप में आपसी सहमति से निर्धारित अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। मैं / हम निविदा की वैधता की पूरी अवधि के दौरान बयाना राशि रखने के लिए भी सहमत हूं / हैं।
4. मैं / हम समझते हैं कि बैंक के पास बिना कोई कारण बताए किसी भी या संपूर्ण निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।
5. मैं / हम समझते हैं कि सूचीबद्ध किए जाने के बाद, मैं / हम प्रत्येक श्रेणी के तहत सह-बोलीदाताओं द्वारा मूल्य बोली (प्राइस बिड) में लगाई गई सबसे कम बोली पर भारतीय रिजर्व बैंक, आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय, हैदराबाद के लिए वाहन / वाहनों की आपूर्ति करने के दायित्व के अधीन होंगे।
6. बयाना राशि का विवरण :

विवरण	राशि	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	लेनदेन संख्या
बयाना राशि (ईएमडी)	₹5,000/-			

वर्ष 2024 के माह की तारीख।

हस्ताक्षर

निविदाकार का नाम और मुहर

अनुबंध - I

बैंकों के विवरण
(आवेदक के पत्रशीर्ष पर दिया जाए)

विवरण	बैंकर-1	बैंकर-2
शाखा का नाम और आईएफएससी तथा ई-मेल आईडी सहित पूर्ण डाक पता		
शाखा प्रबंधक/रिलेशनशिप मैनेजर का नाम और जॉब-टाइटल, टेलीफोन नंबर / नंबरों और ई-मेल आईडी के साथ।		
खाते का प्रकार और खाता संख्या		
सेवा प्रदाता द्वारा बैंकर के साथ बैंकिंग किए जाने की अवधि (वर्षों की संख्या निर्दिष्ट करें)।		
कोई अन्य जानकारी जो सेवा प्रदाता अपने बैंकर के बारे में देना चाहते हों		

अनुबंध - II

किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से बैंकर के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र
(निविदाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाए – तकनीकी बोली में अपलोड किया जाए)

1. फर्म की संरचना (साझेदारी / एलएलपी / निजी लिमिटेड / मालिकाना। सार्वजनिक लिमिटेड)
2. फर्म के मालिक / साझेदार / निदेशकों का / के नाम
3. फर्म का पिछले तीन वर्षों अर्थात् वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2022-23, वित्त वर्ष 2023-24 का टर्नओवर
4. फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा।
5. लेनदेन की प्रकृति और उसके बारे में राय।
6. फर्म के बैंक के साथ बैंकिंग किए जाने की अवधि।
7. कोई अन्य टिप्पणी।
8. ₹2.5 लाख की अनुमानित लागत वाले कार्य की निविदा सौंपे जाने हेतु पक्ष को वित्तीय रूप से मजबूत माने के संबंध में राय।

(हस्ताक्षर)

बैंक शाखा के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

टिप्पणी :

1. बैंकर का प्रमाण-पत्र बैंक के पत्रशीर्ष में होना चाहिए।
2. प्रमाण-पत्र में निविदाकार/रों (पार्टी) के सभी साझेदारों और निदेशकों के, बैंक में यथा दर्ज, नाम शामिल होने चाहिए।

अनुबंध - III

बेड़े में शामिल वाहनों की सूची
(आवेदक के पत्रशीर्ष में दिया जाए)

क्र.सं.	वाहन निर्माता कंपनी (मेक)	पंजीकरण सं.	मॉडल एवं विनिर्माण का वर्ष	वर्तमान माइलेज
स्वयं के वाहन				
ठेका वाहन				

निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें :

- (a) पंजीकरण प्रमाण-पत्र
- (b) बीमा के कागजात
- (c) टैक्सी परमिट
- (d) प्रदूषण संबंधी प्रमाण-पत्र
- (e) कोई अन्य संबंधित दस्तावेज

निविदाकार की मुहर / मुद्रा सहित हस्ताक्षर
दिनांक :
स्थान :

**कार उपलब्ध कराने वाली फर्म / एजेंसी / कंपनी के
कार्यनिष्पादन संबंधी ग्राहक का प्रमाण-पत्र**

(तकनीकी बोली में अपलोड किया जाए)

1. ग्राहक का नाम और पता :
2. श्री / मैसर्स द्वारा किए गए कार्य का विवरण।
3. संक्षिप्त विवरण सहित कार्य का नाम :
4. करार सं. और दिनांक :
5. करार की राशि (₹) :
6. निविदा प्रारंभ होने की तिथि :
7. निविदा समाप्त होने की तिथि :
8. कार एजेंसी के साथ कामकाज की अवधि :
9. फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए वाहनों की गुणवत्ता :
10. फर्म द्वारा उपलब्ध कराए गए चालकों की गुणवत्ता :
11. फर्म के साझेदारों / मालिकों की सत्यनिष्ठा और विश्वसनीयता :
12. सेवाओं में कमियों के संबंध में आरोपित दंड का विवरण (दंड आरोपित किए जाने की तिथि, दंड की राशि और उसका कारण) :
13. ठेके के दौरान एजेंसी के साथ हुए विवादों का विवरण :
14. कार एजेंसी द्वारा सेवा की गुणवत्ता के बारे में सामान्य फीडबैक :
15. प्रदान की गई कार सेवाओं की रेटिंग : उत्कृष्ट / बहुत बढ़िया / बढ़िया / संतोषप्रद / खराब
16. अनुशंसा, यदि कोई हो, या कोई अन्य फीडबैक

(ग्राहक के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

भाग- II

प्रपत्र II

अनुबंध - ए

वित्तीय बोली

अनुप्रयोज्य करें सहित और जीएसटी को छोड़कर कार किराये पर लेने संबंधी दर चार्ट (रेट चार्ट)

विवरण (स्थानीय / शहरी दर)	मध्यम प्रकार की सेडान	उच्च प्रकार की सेडान	एसयूवी प्रकार / एमयूवी	एसयूवी प्रकार	विलासिता सेडान	उच्च प्रकार की एसयूवी / एमयूवी	कार्यपालक सेडान
वाहन का मॉडल	टोयोटा इटियोस / ह्यूंदई एक्सेंट / मारुति डिजायर या समान प्रकार के वाहन	होंडा सिटी / मारुति सियाज/निसान सनी या समान प्रकार के वाहन	मारुति एर्टिगा / महिंद्रा जाइलो / टोयोटा तवेरा / टोयोटा इनोवा या समान प्रकार के वाहन	इनोवा क्रीस्टा या समान प्रकार के वाहन	टोयोटा कोरोला / टोयोटा अल्टीस / होंडा सिविक या समान प्रकार के वाहन	फॉर्चूनर या समान प्रकार के वाहन	टोयोटा कैमरी / होंडा एकोर्ड या समान प्रकार के वाहन
4 घंटे / 40 किमी							
8 घंटे / 80 किमी							
प्रति घंटा अतिरिक्त प्रभार							
प्रति किमी अतिरिक्त प्रभार							
रात्रि में ठहरने की दर प्रति रात्रि							

बाहर जाने (आउटस्टेशन) के प्रभार (न्यूनतम 300 किमी/दिन)

प्रति किमी मूल दर							
ड्राइवर भत्ता							
रात्रि में ठहरने की दर प्रति रात्रि							

बाहर जाने (आउटस्टेशन) की खेपों (ट्रिप) के लिए न्यूनतम दूरी - 300 किमी/दिन
ऊपर उद्धृत दरें निम्नलिखित शर्तों और निबंधनों के अनुपालन में होंगी :

- उद्धृत सेवा शुल्क में बीमा शुल्क, वर्दी शुल्क और केंद्र सरकार या किसी राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा लगाए गए मौजूदा या भविष्य के किसी भी अन्य शुल्क / लेवी शामिल हैं, यथा लागू जिसके लिए कोई अलग दावा नहीं किया जाएगा। **उद्धृत सेवा शुल्क में सभी कर शामिल होंगे और जीएसटी (माल और सेवा कर) इसमें शामिल नहीं होगा।** कानून के अनुसार, लागू करों की स्रोत पर कटौती की जा सकती है और इसके लिए कृपया प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।
- पार्किंग शुल्क, टोल शुल्क और हवाई अड्डे की ड्रॉप/पिकअप, रेलवे स्टेशन ड्रॉप/पिकअप और अन्य मामलों (बाहरी यात्रा/पड़ोसी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के भीतर) के मामले में अंतर-राज्य परमिटों का शुल्क लगाया जाएगा शुल्क लिया जाएगा, बशर्ते रसीदें प्रस्तुत की जाएं।

3. सभी वाहन उनके साजसामान (अपहोल्स्टरी) की विधिवत बनावट इत्यादि के साथ अच्छी स्थिति में होने चाहिए। इन्हें अनिवार्यतः धोया जाना चाहिए और उचित सीट कवर लगाया जाना चाहिए।
4. "ऊपर उद्धृत शुल्कों में "काम के दायरे" में उल्लिखित वस्तुओं, जैसे - बिसलेरी, किनले, एक्काफिना, हिमालया आदि जैसे प्रतिष्ठित ब्रांड की पानी (मिनिरल वाटर) दो बोतलें – प्रत्येक 500 मिली की, फेस टिश्यू पेपर, समदिनांक का एक अंग्रेजी अखबार और एक वित्तीय अखबार, ड्यूटी पर तैनात ड्राइवर के लिए मोबाइल फोन, वाहन में उपलब्ध अग्निशामक और प्राथमिक उपचार बॉक्स की लागत शामिल है।
5. सेवाएं असंतोषजनक पाई जाने पर किसी भी निविदाकार के मामले की समीक्षा करने और यहां तक कि उसकी निविदा को रद्द का अधिकार बैंक के पास होगा।
6. निविदाकारों द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के तहत उद्धृत न्यूनतम दरें अन्य सभी निविदाकारों के लिए लागू होंगी।
7. 4 घंटे से अधिक लेकिन 8 घंटे से कम अतिरिक्त 30 मिनट को अगले घंटे में पूर्णांकित किया जाएगा (जैसे 4 घंटे 30 मिनट को 5 घंटे के रूप में गिना जाएगा, इसलिए बिलिंग में 4 घंटे/40 किलोमीटर में 1 घंटे को जोड़ा जाएगा। चार घंटे से अधिक 30 मिनट से कम की अनदेखी की जाएगी और शुल्क नहीं लिया जाएगा।)।
8. मूल रसीद प्रस्तुत करने पर बाहरी यात्राओं और पार्किंग शुल्क के लिए टोल करों का भुगतान किया जाएगा।

निविदाकार के हस्ताक्षर
कंपनी / फर्म / एजेंसी का नाम और मुहर

वर्ष 2024 के माह की तारीख।

टिप्पणी: यदि निविदाकार किसी अन्य निर्माता कंपनी या मॉडल की कार/वाहन प्रदान करने में सक्षम होगा, तो उसे प्रत्येक श्रेणी के तहत शुल्क के साथ शामिल किया जा सकता है। किसी भी मामले में, यदि सेवा प्रदाता स्वयं या बैंक के कहने पर किसी अन्य निर्माता कंपनी या मॉडल प्रदान करता है, तो उसे कारों की समान श्रेणी के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

प्रतिभूति जमाराशि के लिए बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारी करने वाले बैंक के नाम पर खरीदे गए उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

सं. _____ दिनांक. _____

प्रति:

क्षेत्रीय निदेशक
आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद – 500004

महोदया / महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, आंध्र प्रदेश को विशाखापत्तनम/विजयवाड़ा/तिरुपति में वाहन उपलब्ध कराने हेतु कार किराये पर देने वाली फर्म/एजेंसियों/कंपनियों को सूची में शामिल करने के लिए उनकी दिनांक की निविदा और निविदा की आपकी विशेष शर्तों और उससे संबंधित अन्य निविदा दस्तावेजों के अनुसार, शर्तों और परिवर्तनों के अधीन पारस्परिक रूप से सहमत / निर्धारित या हमारे निविदा में उल्लिखित गारंटी के रूप में हमारे द्वारा निहित तरीके से मैसर्स (इसके बाद इन्हें "एजेंसी" कहा गया है) के आपके साथ हुए करार को ध्यान में रखते हुए, हम (बैंक का नाम) एतद्वारा वचन देते हैं और आपके साथ निम्नानुसार सहमत होते हैं:

- हम उक्त निविदा में निहित शर्तों और निबंधनों के एजेंसी की ओर से किसी भी उल्लंघन और **एजेंसी** द्वारा उक्त निविदा के तहत कोई चूक या उसके तहत किसी भी कार्य को करने में चूक होने की स्थिति में या सही इरादे और अर्थ के अनुसार उससे संबंधित शर्तों और निबंधनों के पालन और कार्यनिष्पादन में अन्यथा कोई चूक होने पर आपको क्षतिपूर्ति करने और समय-समय पर **₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** की सीमा तक क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं। आगे से, हम **एजेंसी** की आरे से इस तरह की चूक के कारण लागत, प्रभार या होने वाले व्यय के रूप में आपको हुए नुकसान और / या क्षति की मांग किए जाने पर, आपके दावे के अनुसार राशि या राशियों का भुगतान करेंगे जो कुल मिलाकर **₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** से अधिक नहीं होगा।
- इसके विपरीत किसी भी बात के होते हुए भी, आपका यह निर्णय कि **एजेंसी** ने ऐसी को कोई चूक की है और वह राशि जिसके लिए आप इन कारणों से हकदार हैं, हम पर बाध्यकारी होगी और इस गारंटी के तहत हम आपसे अपने दावे या दावों को स्थापित करने के लिए कहने का हकदार नहीं होंगे, बल्कि आगे बिना किसी विरोध या आपत्ति के आपकी मांग पर तुरंत भुगतान कर देंगे।
- "यह गारंटी तब तक जारी रहेगी और लागू रहेगी जब तक कि उक्त निविदा की सापेक्ष गारंटी अवधि की समाप्ति के बाद **एजेंसी** द्वारा आवेदन पर आपके द्वारा विमोचित नहीं किया जाता है और एजेंसी द्वारा उक्त निविदा के तहत अपने सभी दायित्वों का निर्वहन करने और उपर्युक्त निविदा के तहत विधिवत कार्य पूरा होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद उक्त निविदा के तहत "कोई मांग शेष नहीं" प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद यह गारंटी किसी भी स्थिति में निविदा की समाप्ति के दिन के दो महीने बाद लागू नहीं रहेगी, बशर्ते कि हमें लिखित रूप में आपके किए गए दावा या दावे और उसकी मांग किए जाने या अन्यथा उसकी सूचना न दी गई हो।

4. यदि किसी भी कारण से इस गारंटी का विस्तार करना आवश्यक है, तो हम आपके अनुरोध पर इस गारंटी की अवधि को आवश्यकतानुसार अवधि तक बढ़ाने का वचन देते हैं। इस संबंध में आपका निर्णय अंतिम और हम पर बाध्यकारी होगा।
5. आपको इस गारंटी को प्रभावित किए बिना समय-समय पर उक्त संविदा की किसी भी शर्तों और निबंधनों को बदलने या **एजेसी** के कार्यनिष्पादन के समय को बढ़ाने या किसी भी समय तक या समय-समय पर स्थगित करने और **एजेसी** के खिलाफ आपके अधिकार या शक्तियां और या तो उक्त संविदा की किसी भी शर्तों और निबंधनों को लागू करने के लिए या लागू करने से मना करने के लिए के लिए पूरी स्वतंत्रता होगी और उपर्युक्त मामलों के संदर्भ में आपकी स्वतंत्रता का प्रयोग करने या या **एजेसी** को किसी भी दिए गए समय के कारण या किसी भी अन्य मनाही, आपकी ओर से हुई किसी चूक या आपकी ओर से **एजेसी** में हस्तक्षेप या उपर्युक्त संविदा में किसी परिवर्तन या सुधार किए जाने या किसी भी अन्य बात या वस्तु जो कानून के तहत किसी जमानतदार से संबंधित हो, लेकिन इसके प्रावधानों से हमें हमारे दायित्व से मुक्त होने का प्रभाव होगा, बशर्ते कि यहां निहित कोई भी बात हमारे दायित्व को **₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** की सीमा से अधिक नहीं करेगा, जैसा कि ऊपर बताया गया है।
6. यह गारंटी किसी भी तरह से **एजेसी** या किसी अन्य व्यक्ति, फर्म या कंपनी से अपनी ओर से या एजेसी के बंद होने, विघटन होने, दिवालिया होने या मृत्यु होने, जैसा भी मामला हो, के रूप में किसी भी प्रतिभूति को लेने या अलग करने या छोड़ने से प्रभावित नहीं होगी।
7. इसमें निहित गारंटी को पूर्ण प्रभावी बनाने के लिए, आप इस तरह कार्य करने के हकदार होंगे जैसे कि हम आपके द्वारा पूर्वोक्त गारंटीकृत **एजेसी** के खिलाफ आपके सभी दावों के संबंध में आपके प्रमुख देनदार थे और हम एतद्वारा स्पष्ट रूप से हमारे जमानतदारी और अन्य अधिकार, यदि कोई हो, सभी अधिकारों को छोड़ते हैं, जो इस गारंटी के किसी भी प्रावधान के साथ किसी भी तरह से असंगत हैं।
8. उपर्युक्त के अनुसार हमारी देयता की अधिकतम सीमा के अधीन, यह गारंटी उक्त करार से उत्पन्न या उसके संबंध में समय-समय पर **एजेसी** के खिलाफ आपके सभी दावों को कवर करेगी और, जिसके संबंध में आपका लिखितरूप में हम पर दावा इस गारंटी की समाप्ति से पहले दर्ज किया गया हो।
9. इसके तहत मांग के रूप में या अन्यथा कोई भी नोटिस विशेष कूरियर, टेलेक्स, फैक्स या पंजीकृत डाक द्वारा हमारे उपर्युक्त स्थानीय पते पर भेजा जा सकता है और यदि डाक द्वारा भेजा जाता है, तब इसे पोस्ट किए जाने के समय सौंपा माना जाएगा।
10. यह गारंटी और इसमें निहित शक्तियां और प्रावधान हमारे द्वारा आपको दी गई किसी अन्य गारंटी के अतिरिक्त है और हमारे द्वारा (चाहे दूसरों के साथ संयुक्त रूप से या अकेले) आपको दी गई किसी अन्य गारंटी से सीमित या प्रतिस्थापित नहीं होगी, और अब यह वर्तमान में रद्द नहीं है और यह गारंटी इस तरह की गारंटी या गारंटियों को रद्द करने या सीमित करने के इरादे से नहीं दी गई है।
11. यह गारंटी **एजेसी** या हमारी संरचना में किसी भी बदलाव से प्रभावित नहीं होगी और न ही यह आपकी संरचना में किसी भी बदलाव या उसके किसी भी समामेलन या आमेलन से प्रभावित होगी, लेकिन यह लाभ सुनिश्चित करेगा और आमेलित या समामेलित कंपनी या संस्था का लाभ सुनिश्चित करेगी और उपलब्ध रहेगी जिसे लागू किया जा सकेगा।
12. उक्त निविदा की किसी भी शर्त को लागू करने में बैंक की ओर से कोई भी निषेध, कार्य या चूक या निविदाकार के साथ बैंक की किसी भी सांठगांठ से किसी भी प्रकार से ज़मानत पूरी नहीं होगी और इस गारंटी के तहत ज़मानत के दायित्वों का निर्वहन केवल बैंक द्वारा ज़मानतदार को दी जाने वाली सूचना के आधार पर किया जाएगा।

13. यह गारंटी इसके जारी रहने के दौरान अप्रतिसंहरणीय है और लिखित रूप में आपकी पूर्व सहमति के बिना इसका प्रतिसंहरण नहीं किया जाएगा।
14. हम इसके आगे आगे सहमत हैं और आपके और एजेंसी या किसी अन्य व्यक्ति के बीच मौजूद या उत्पन्न होने वाले किसी भी भेदभाव या झगड़े या विवाद के बावजूद आपके द्वारा लिखित रूप में मांगी गई राशि का भुगतान करने का वचन देते हैं।
15. उपर्युक्त में अंतर्निहित किसी भी बात के बावजूद इस गारंटी के तहत हमारी देयता **₹12,500/- (बारह हजार पाँच सौ रुपये मात्र)** तक सीमित है। जब तक इस गारंटी के तहत भुगतान के लिए हम पर एक लिखित दावा समाप्ति तिथि से पहले दर्ज नहीं किया जाता है, जिसमें इस गारंटी का विस्तार, यदि कोई हो, शामिल है, गारंटी के तहत आपके सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे और इस बात पर विचार किए बिना कि मूल गारंटी हमें वापस कर दी गई है या नहीं, हमें उसमें निहित सभी देनदारियों से विमोचित और मुक्त माना जाएगा।
16. हमारे पास हमारे बैंक से संबंधित ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियम (मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन) के तहत आपके पक्ष में यह गारंटी जारी करने की शक्ति है और अधोहस्ताक्षरी को बैंक द्वारा दिए गए मुख्तारनामा (पावर ऑफ अटॉर्नी) के तहत इस गारंटी को निष्पादित करने की पूरी शक्ति है।
17. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रति हमारा दायित्व भारतीय रिज़र्व बैंक और एजेंसी के बीच के समझौता या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा।

हस्ताक्षरित और सुपुर्द

(उपर्युक्त नाम के बैंक के लिए और उसकी ओर से)

के लिए उनकी ओर से (बैंकर का नाम और मुहर)

शाखा प्रबंधक

(बैंकर की मुहर)

पता -